लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES
तृतीय माला
Third Series

खण्ड ३०, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXX, 1964 / 1886 (Saka)

[१५ से २८ अप्रैल, १९६४/२६ चैत्र से ८ वैशाख, १८८६ (शक)]

15th to 28th April, 1964/ Chaitra 26 to Vaisakha 8, 1886 (Saka)

सातवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1886 (Saka)

(खण्ड ३० में अंक ५१ से ६० तक हैं)

(Volume XXX contains Nos. 51 to 60)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इस में अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची पृष्ठ

अंक ५४—शनिवार, १८ अप्रैल, १९६४/२९ चैत्र, १८८६ (शक)

आयव्ययक रियायतों का समय से पहले मालूम हो जाने के बारे में . ४११३

सभा का कार्य ४११३–१५

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, १९६३ (वापिस लिया गया) . ४११५

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, १९६४—पुरःस्थापित . . ४११५

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६४—पारित . . ४११६

वित्त विधेयक, १९६४ . . . . . ४११६–६२

विचार करने का प्रस्ताव ४११६

श्री राजाराम ४११७

श्री शंकरय्या ४११७–१८

श्री नाथपाई ४११८–२०

श्रीमती शारदा मुकर्जी ४१२०–२१

श्री पालीवाल ४१२१

श्री स० मो० बनर्जी ४१२२

श्री लक्ष्मी दास ४१२२–२३

श्रीमती यशोदा रेड्डी ४१२३–२४

श्री मुरारका ४१२४–२६

श्री ति० त० कृष्णमाचारी ४१२६–३०

खण्ड २ से ३३ ४१३०–६२

CONTENTS PAGE

No. 54 —Saturday, April 18, 1964/Chaitra 29, 1886 (Saka)

Re : alleged leakage of Budget concessions 4113

Business of the House . . . . . 4113—15

Advocates (Amendment) Bill, 1963 (*withdrawn*) . . . 4115

Advocates (Amendment) Bill, 1964—introduced . . . 4115

Appropriation (No. 2) Bill, 1964—passed . . 4116

Finance Bill, 1964— . 4116—62

Motion to consider 4116

Shri Rajaram 4117

Shri Shankaraiya . . . . . 4117—18

Shri Nath Pai . . . . . 4111—20

Shrimati Sharda Mukerjee . . . . . 4120—21

Shri Paliwal 4121

Shri S. M. Banerjee 4122

Shri Laxmi Dass . . . . . 4122—23

Shrimati Yashoda Reddy . . . . . 4123—24

Shri Morarka . . . . . 4124—26

Shri T. T. Krishnamachari . . . . . 4126—30

Clauses 2 to 33 . . . . . 4130—62

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

---

१८ अप्रैल, १९६४। २९ चैत्र, १८८६(शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या ४१२५, ऊपर से सत्रहवीं पंक्ति, 'वर्तमान' शब्द से पहले सदस्य का नाम 'श्री मुरारका:' पढ़िये ।

लोक–सभा

LOK SABHA

शनिवार, १८ अप्रैल, १९६४ / २९ चैत्र, १८८६ (शक)

Saturday, April, 18, 1964/Chaitra 29, 1886 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

आय-व्ययक सम्बन्धी रियायतों का समय से पहले मालूम हो जाने के बारे में

RE: ALLEGED LEAKAGE OF BUDGET CONCESSIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री स० मो० बनर्जी ने शिकायत की है कि **इकानामिक टाइम्स** में वे शिकायतें प्रकाशित हुई हैं जो बजट के सम्बन्ध में घोषित की गई थीं। यह विशेषाधिकार का भंग नहीं है, किन्तु वह वाद-विवाद में इसका उल्लेख कर सकेंगे।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं २१ अप्रैल, १९६४ से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्यों की घोषणा करता हूं :—

(१) वित्त विधेयक, १९६४ (**आगे विचार तथा पास करना**)

(२) समवाय (लाभ) अतिकर विधेयक, १९६४, (**विचार तथा पास करना**)

(३) सशस्त्र सेना में (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक, १९६४ (**विचार तथा पास करना**)

(४) वर्ष १९६१–६२ के लिये अरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।

[श्री सत्य नारायण सिन्हा]

(५) सरकारी नौकरी निवास की आवश्यकता संशोधन विधेयक, १९६४ (**विचार तथा पास करना**)

(६) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, १९६४ (**विचार तथा पास करना**)

(७) संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में (**विचार तथा पास करना**)

मैंने गत शनिवार को बताया था कि हम सरकारी कार्य को मई के पहले सप्ताह में पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। अब मेरा प्रस्ताव है कि इस सत्र को ६ मई तक बढ़ा दिया जाये। सरकार कुछ अन्य विधेयक भी सत्र के शेष में लाना चाहती है। यदि समय नहीं हुआ तो ये अगले सत्र में चले जायेंगे :

(१) संविधान (अट्ठारहवां संशोधन) विधेयक, १९६४

(२) गोआ, दमन और दीव न्यायिक आयुक्त का न्यायालय (उच्च न्यायालय घोषित करना) विधेयक, १९६३।

(३) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक, १९६४

(४) पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९६४

(५) कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६४

(६) भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६४

(७) भारत का औद्योगिक विकास बैंक, विधेयक, १९६४।

(८) भारतीय सिक्के (संशोधन) विधेयक, १९६४

(९) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा विधेयक, १९६३, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(१०) नारियल जटा उद्योग (संशोधन) विधेयक, १९६३

(११) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, १९६३

(१२) गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक, १९३३, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।

(१३) भेषज तथा श्रृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक, १९६३

(१४) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९६३

कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार सरकार यह विचार करेगी कि कितने विधेयक इसी सत्र में पेश किये जा सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कतिपय सदस्यों ने शेख अब्दुल्ला की रिहाई के बाद काश्मीर में घटनाओं के बारे में चर्चा का प्रस्ताव रखा है। इस अवसर पर विरोधी दलों के मत व्यक्त किये जाने की आवश्यकता है। अतः उसके लिये समय निश्चित किया जाना चाहिये।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : It may be stated whether the House will sit after sixth May or not.

Shri Satya Narayan Sinha : We do not propose to extend beyond 6th May

शनिवार २ मई को बैठक का इरादा नहीं है।

Shri Onkar Lal Berwa : Whether question hour will be taken upto 6th May?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : प्रश्न काल होना चाहिये।

Shri S. C. Soy : We should sit on Saturday also.

Mr. Speaker : If there are questions prepared, those may be sent.

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, १९६३
ADVOCATES (AMENDMENT) BILL, 1963

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : मैं विधि मंत्री की ओर से अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, १९६३ को वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, १९६३ को वापिस लेने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

विधेयक अनुमति से वापिस लिया गया।

The Bill was, by leave withdrawn

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, १९६४
ADVOCATES (AMENDMENT) BILL, 1964

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): मैं विधि मंत्री की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने के लिये विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाय।

पुराना विधेयक वापिस ले कर अधिक व्यापक विधेयक लाने के कारणों का विवरण सदस्यों को भेजा जा चुका है। इस नये विधेयक में भारतीय विधिवेत्ता परिषद् की कुछ सिफारिशें ली गई हैं। नियम ८० के अन्तर्गत ये सिफारिशें पहले विधेयक के क्षेत्राधिकार में न आ सकने के कारण यह नया व्यापक पेश किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री विभुधेन्द्र मिश्र: मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६४

APPROPRIATION (No. 2) BILL, 1964

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि वित्तीय वर्ष १९६४–६५ की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के और भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, २, ३, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड, १, २, ३, अधिनियम सूत्र, तथा विधेयक के अंग बने ।

Clause 1, 2, 3, The Schedule, the enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

वित्त विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब श्री कृष्णमाचारी के १७ अप्रैल को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर सभा अग्रेतर विचार करेगी :

"कि वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को क्रियान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

माननीय मंत्री जी कितना समय और लेंगे ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : ४० मिनट पर्याप्त होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन को पौने दो बजे बुलाऊंगा । हमें २१ अप्रैल को ५ बजे इसे पास करना होगा ।

श्री राजा राम : मैंने उपेक्षित दक्षिण के बारे में कुछ कहा था । मैसूर के मुख्य मंत्री ने भी यही बात कही थी । उन्होंने कहा था कि चीनी उत्पादन के लिये दक्षिण भारत को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । वास्तविक शासकों ने तीन बड़ी परियोजनाएं अपने स्थानों पर क्रियान्वित करवा ली हैं । एक परियोजना दक्षिण भारत के लिये भी होनी चाहिये । ७४ लाइसेंसों में से दक्षिण को केवल १० लाइसेंस दिये गये हैं जबकि अकेले दिल्ली के लिये १५ और कलकत्ता के लिये १५ तथा बम्बई के लिये २५ । इस प्रकार की प्रादेशिक विषमता क्यों की जाती है ? पिछले १५ वर्षों में दक्षिण भारत की बड़ी अवहेलना की गई है ।

संघ लोक सेवा आयोग की जिस परीक्षा के अनुसार प्रशासनिक एवं पुलिस सेवाओं के लिये १३५ लोग चुने गये हैं उन में केवल २० लोग दक्षिण भारत के हैं । यदि लोगों को हिन्दी या अंग्रेजी में परीक्षा की अनुमति दी जाती, तो दक्षिण की स्थिति और भी खराब होती । मैं वित्त मंत्री से इन परीक्षाओं की जांच करने के लिये कहूंगा । यह वास्तव में उत्तर प्रदेश सेवा आयोग बन कर रह गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह आयोग स्वतंत्र निकाय है, अतः इस के बारे में ऐसी बात कहनी उचित नहीं है । वह इसे वापिस लें । हम आयोग की परीक्षाओं की चर्चा भी नहीं कर सकते ।

श्री राजा राम: तो मैं इसे वापिस लेता हूं ।

श्री मुदालियर के नाम पर चिंगलपूत में जो चिकित्सा कालेज बनने जा रहा है, उस में कई मंत्रियों की अभिरुचि है । स्वास्थ्य मंत्रालय की लाल फीताशाही के कारण प्रवेश बन्द कर दिया गया है । न केवल दक्षिण अपितु दक्षिण से आये हुए मंत्रियों की भी उपेक्षा की जाती है ।

संकट काल में जब डाक्टरों की बड़ी आवश्यकता है, दक्षिण में चिकित्सा अध्ययन की अधिक व्यवस्था की जानी चाहिये ।

श्री शंकरय्या (मैसूर) : देश की स्थिति बड़ा निराशाजनक चित्र प्रस्तुत करती है । एक ओर खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी ओर औद्योगिक वस्तुओं के दाम तेज हो रहे हैं । राष्ट्रीय आय में इतनी वृद्धि नहीं हुई हालांकि हम भारी धन लगा चुके हैं । समस्याओं को गम्भीरतापूर्वक हल नहीं किया जा रहा । इन सब हालतों को देखते हुए हमें सरकार की राजकोषीय नीति के संबंध में बड़ा भ्रम होता है कि सरकार किस प्रकार की आर्थिक एवं राजकोषीय नीतियां अपना रही है, जिस के कारण इतनी भारी पूंजी लगाने के बावजूद, स्थिति में सुधार नहीं होता ।

बड़ी खेद और चिन्ता का विषय है कि हमारे देश में बैंकों में इस समय २००० करोड़ रुपये जमा हैं । इस में से राज्य बैंक के पास ५ हजार करोड़, अन्य बैंकों के पास ५ हजार करोड़ रुपये हैं और शेष राशि अर्थात् १० हजार करोड़ रुपये पांच बड़े बैंकों में जमा हैं, जिन पर बड़े बड़े पूंजीपति परिवारों का कब्जा है । १९५० की तुलना में बैंकों की राशि चार गुना हो चुकी है । परन्तु फिर भी बड़े बड़े उद्योगपति या व्यापारी उस पूंजी का उपयोग अपने उद्योगों को बढ़ावा देने

[श्री शंकरय्या]

के लिये करते हैं। इतना ही नहीं, प्राय: सभी प्रमुख समाचारपत्र भी इन्हीं पूंजीपतियों के अधिकार में हैं और वे उन की ओर से सरकार के प्रतिकूल प्रचार करने में संलग्न हैं और इन सब बातों का उन का एकमात्र लक्ष्य यह होता है कि वे अपने आप के लिये सरकार से अनेक प्रकार के करों की छूट प्राप्त करें। इस का परिणाम यह होता है कि जनता की कमाई हुई राशि जो बैंकों में जमा की जाती है, इसे देश के विकास कार्यों में लगाना चाहिये था। परन्तु दुर्भाग्यवश वह राशि उन कामों में न लगा कर इन बड़े पूंजीपतियों के काम में आती है, जिन के साधन पहले ही बहुत अधिक होते हैं। ये लोग उस धन से अपने लिये लाभ कमाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Deputy-Speaker *in the chair*

छोटे उद्योगों को यदि धन न होने के कारण धन की बहुत हानि होती है सरकार ने वित्त निगम और जीवन बीमा निगम आदि के द्वारा ऋण देने की व्यवस्था की है, परन्तु इन पर भी उन्हीं बड़े बैंकों का प्रभुत्व होने के कारण कोई लाभ नहीं होता। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिये इन बैंकों द्वारा बहुत कम सहायता प्रदान की गई है। जो उद्योग अथवा उपक्रम धन की कमी के कारण खराब हो रहे हैं, उन के लिये उचित अर्थव्यवस्था की जाय, इस के निमित्त बैंकों ने लोगों की जमा की हुई पूंजी को कहां तक प्रयुक्त किया है, इस बात की जांच करने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है। सरकार का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि हमारे राष्ट्रीय जीवन के निमित्त आर्थिक पहलुओं के लिये धन आदि साधन उचित ढंग से जुटाये जायें और देश की जमा पूंजी देश के सर्वोत्तम विकास एवं लाभ के लिये प्रयुक्त होनी चाहिये। उस पूंजी का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिये नहीं होने देना चाहिये। उपहार कर, व्यय कर, सम्पदा कर आदि के बावजूद, सरकार उन बड़े पूजीपतियों पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकी है। हमें अपने देश के हितों को सर्वोपरि रखना चाहिये और बड़े व्यापारियों तथा पूंजीपितियों एवं बैंकों के द्वारा जनता की पूंजी का केवल अपने निजी लाभ के लिये प्रयोग नहीं होने देना चाहिये।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : वित्त मंत्री ने इन नीतियों को कांग्रेस दल की विचारधारा का पोषक बतलाया है। परन्तु यदि हम देश की वस्तुस्थिति को देखें तो यह स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि लोगों के जीवन स्तर में १९३८ और १९५४–५५ के बीच अत्यधिक गिरावट आई है। पहले लोगों का जो जीवन स्तर था, उस से कहीं अधिक गिर गया है। इस बात का प्रमाण गोखले अर्थ-शास्त्र संस्था द्वारा शोलापुर की हालत के बारे में जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, उस से मिलता है। उस रिपोर्ट में लिखा है कि गरीबी की मात्रा जो पहले ८२ प्रतिशत थी अब बढ़ कर ९२ प्रतिशत हुई है तथा निराश्रितों की सीमा ३२ प्रतिशत से बढ़ कर ५२ प्रतिशत हो गई है। इतनी दयनीय दशा देश की दिखाई देती है। जब ऐसी स्थिति है तो मंत्री के लिये अनिवार्य हो जाता है कि वह जरा रुकें और इस बात पर विचार करें कि आखिर इस बरी अवस्था का कारण क्या है और हमारी नीतियां कैसी हैं तथा उन का क्या परिणाम निकलता है। मंत्री महोदय को यह विचार करना चाहिये कि जितने प्रयत्न किये गये हैं उन के बावजूद क्या हम समाजवाद की ओर कुछ अग्रसर हो सके हैं अथवा नहीं। देश के केवल ७ प्रतिशत परिवार को अपेक्षित न्यूनतम जीवन स्तर से थोड़ा ऊंचा जीवन स्तर प्राप्त है। साधारण जनता अत्यधिक निर्धनता में पिस रही है। हमें उन के भार को कम करने का प्रयत्न करना चाहिये। इकानामिक रिव्यू में पत्र जो सांख्यिकी और तथ्य प्रकाशित हुए हैं वे हृदय निदारक हैं।

सरकार ने एकाधिकार तथा शक्ति संचय की जांच करने के हेतु एक आयोग नियुक्त किया है। मुझे समझ में नहीं आता कि उस में श्रमिकों का प्रतिनिधि क्यों नहीं रखा गया। सरकार को श्रमिकों का एक प्रतिनिधि उस आयोग में अवश्य रखना चाहिये जिससे कि जनता को अधिक विश्वास सम्पादन हो सके।

बेकारी की समस्या मुंह बाये सामने खड़ी है। पहले जितने लोग बेकार होते थे, अब उन की संख्या बहुत बढ़ गई है। बेकारों की संख्या प्रतिदिन १३००० बढ़ जाती है। पहले ही लोग बहुत बेकार हैं; प्रति दिन की संख्या वृद्धि से यह समस्या कैसे सुलझ सकती है? यह ऐसा विषय नहीं है कि देश में कभी सन्तोष आ सके। सरकार को इस समस्या पर बहुत गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये।

खेती बाड़ी के क्षेत्र पर विचार करते हुए हम यह अनुभव करते हैं कि हमारे कृषि विकास की क्षमता और गुंजायश बहुत अधिक है। यदि किसानों को उर्वरक दिये जायें और सरल तथा सुगम ढंग से ऋण उपलब्ध कराया जाय और किसानों को उचित ढंग से प्रेरणा दी जाय तो वे खेती बाड़ी की उपज को खूब कर सकने में समर्थ हैं। कृषि जिन्सों के दामों का इस से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। किसानों को फसल से पूर्व मालूम हो जाना चाहिये कि उन को उन की फसल के क्या दाम मिलेंगे। यह खेद का विषय है कि सरकार के द्वारा कृषि जिन्सों के दाम नियत करने या स्थिर करने, अथवा कृषि उत्पादन में कीमतों संबंधी सहायता देने के लिये कुछ भी नहीं किया गया। यदि कृषि जिन्हों के दाम स्थिर कर दिये जायें तो कृषि विकास में तथा उपज बढ़ाने में बहुत आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में हमें बहुत बड़ी पूंजी लगाने की जरूरत है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था की वर्तमान जड़ता समाप्त हो। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में भी बड़ी कमी है। हमें प्रति एकड़ कृषि उपज को बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना होगा। इस क्षेत्र में प्रगति जो देश के लिये परमावश्यक है, तभी संभव हो सकती है, जब हम प्रत्येक संभव उपाय और उचित दृष्टिकोण से इस समस्या को हल करने में जुट जायें।

मूल्यों को स्थिर करने या कृषि उत्पादन के लिए मूल्य-आश्रय-प्रदान करने के संबंध में जब तक वे कुछ नहीं करते तब तक इन क्षेत्रों में कठिनाइयां बराबर बढ़ती ही जायेंगी। उद्योगों को प्रोत्साहन देने में कोई हानि नहीं है लेकिन मजदूरों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। पिछले पांच वर्षों में उसकी वास्तविक आमदनी घट गयी है। इसका कारण यह है कि सरकार मूल्यों को स्थिर रखने में बिल्कुल असमर्थ रही है। मैं पुनः एक बार कहता हूं कि कृषि की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाये। राष्ट्रीय कल्याण के लिए वर्तमान समय की मांग है कि मूल्यों को स्थिर रखने के लिए अधिक सक्रिय और निश्चित कदम उठाये जायें। अधिकांश कठिनाइयां लालफीताशाही के कारण उत्पन्न होती हैं। अधिक अच्छी प्रशासनिक पद्धति से हम औद्योगिक उत्पादन को अधिक प्रोत्साहन दे सकेंगे। प्रशासनिक विलम्ब के कारण लगभग २० प्रतिशत औद्योगिक क्षमता व्यर्थ नष्ट हो रही है। सरकार को देश के सामने उपस्थित समस्याओं को तय करने में अधिक शक्ति और दृढ़ता दिखानी चाहिये। हमारी विदेशी नीति की प्रवृत्ति भी चिन्ताजनक है। यही कारण है कि भारत उन तटस्थ राष्ट्रों में भी अलग होता जा रहा है जिनके स्वातंत्र्य संग्राम का हम ने समर्थन किया था। हम ने इंडोनेशिया के स्वातंत्र्य संग्राम में उसका समर्थन किया और उसके पक्ष में दुनिया के राष्ट्रों से वकालत की लेकिन आज वही इंडोनेशिया भारत का नहीं बल्कि श्री भुट्टो का समर्थन कर रहा है। हम

दूसरों के प्रति जो उदारता दिखाते हैं वही उदारता हमारे प्रति नहीं दिखायी जा रही है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था की बड़ी बड़ी बुराइयों को दूर करने में और अधिक साहस दिखायेंगे।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नागिरी) : वित्त विधयक में तथा समवाय (लाभ) अधिकर विधेयक में शामिल किये गये नये करों के मूल उद्देश्यों को समझाने का वित्त मंत्री ने जो प्रयत्न किया है मैं उसकी प्रशंसा करती हूं। हमारी अर्थ-व्यवस्था के वर्तमान दोष दूर करने और जनता का रहन सहन का स्तर ऊंचा करने की दिशा में इन नये करों की उपयोगिता के सम्बन्ध में हमारी आशंकाएं दूर करने के लिए उन्होंने समय समय पर हमें जानकारी दी है। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री को सामान्य रूप से सदन का समर्थन प्राप्त होगा। यह एक चिन्ताजनक तथ्य है कि हमें प्रत्येक वर्ष एक ऐसा विधान पारित करना होता है जो विशेषज्ञों द्वारा बनाया हुआ होता है लेकिन उसमें ऐसी त्रुटियां होती हैं जिनसे कर बचाया जा सकता है। यह एक गंभीर विषय है कि देश के कानून का इतनी अभद्रता से उल्लंघन किया जाता है। इस प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है।

भारतीय कर प्रणाली की समीक्षा के सम्बन्ध में १९५६ में भारत सरकार को पेश की गयी प्रोफेसर कालडोर की रिपोर्ट की एक सिफारिश यह थी कि कर की चोरी रोकने के लिए कर के आधार को विस्तृत बनाया जाना चाहिये। हम ने उन्हीं का सुझाया हुआ कर-ढांचा अपनाया है। लेकिन सामान्य आयकर के अलावा, संपत्ति कर, पूंजी लाभ-कर, दान-कर और व्यय-कर आदि की वसूली पर जितना प्रशासनिक खर्च होता है वह उन करों से वसूल की गयी रकम को देखते हुए उचित नहीं कहा जा सकता। यही समय है जब कि हम संपूर्ण स्थिति पर विचार करके वास्तविकता का सामना करें।

हमारी अर्थव्यवस्था का एक दोष यह है कि अधिकांश आर्थिक फालतू धन छिपा लिया जाता है या उपभोग में नष्ट कर दिया जाता जबकि उत्पादक प्रयोजनों के लिए उसका अधिक अच्छा उपयोग किया जा सकता है।

स्वतंत्रता के सत्रह वर्ष और तेरह वर्षों के आयोजन के बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था में कोई गतिशीलता नहीं आयी है, ऊंचे उद्देश्यों की घोषणाओं के बावजूद हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सके हैं। बेरोजगारी की वृद्धि की गति चिन्ताजनक है। कुछ थोड़े लोगों की अत्यधिक समृद्धि के कारण सामान्य रूप से जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है और अधिकांश लोगों की बढ़ती हुई कठिनाइयां ऐसी सीमा तक पहुंच गयी हैं जिसकी सरकार अब उपेक्षा नहीं कर सकती।

पिछले वर्षों में सरकार ने अधिक कठोर आर्थिक नियंत्रण की नीति अपनायी है जिसका परिणाम यह हुआ है कि अत्यधिक संरक्षण प्राप्त अर्थव्यवस्था बन गयी है जिसका लाभ कुछ थोड़े से लोगों को मिल रहा है और जनसाधारण को उस से कोई लाभ नहीं पहुंचा है। आज अर्थ-व्यवस्था की गति तेज करने के लिए कर में कमी नहीं बल्कि संरक्षण और नियंत्रण में कमी करने की आवश्यकता है और जहां सरकारी नियंत्रण लागू करना ही हो वहां वह कड़ाई से लागू किया जाये। इस्पात संबंधी राज समिति की रिपोर्ट से यह बात स्पष्ट हो जाती है। संरक्षण केवल बड़े आदमी को ही प्राप्त होता है लेकिन देश की समृद्धि छोटे उद्योगपतियों और किसानों पर ही निर्भर होगी। इस सम्बन्ध में मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगपतियों को कुछ रियायतें दी हैं। पिछले कुछ वर्षों में कर की चोरी और कानून का उल्लंघन जो बढ़ता

जा रहा है उसका कारण यह नहीं है कि हमारी जनता का चरित्र ही ऐसा है बल्कि वह अनुचित तथा न्यायहीन नियंत्रणों का स्वाभाविक परिणाम है ।

लोकतंत्र में सरकार का सब से पहला कर्त्तव्य जनता में विश्वास और सहकारिता की भावना उत्पन्न करना है । वित्त मंत्री की कठिनाइयों के लिए संपूर्ण सरकार के संगठित प्रयास की आवश्यकता है । हर कोई यह उम्मीद करता है कि अधिक अच्छा और प्रभावशाली प्रशासन हो ।

देश में केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही उन्नति हुई है । इसलिए यह उचित ही है कि निगमित क्षेत्र अपना कर भार सहन करे । चोर बाजारी का काफी धन है जो औद्योगिक क्षेत्र में नहीं लगाया जा सकता ।

हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम पर्याप्त मात्रा में फालतू आर्थिक क्षमता पैदा कर रहे हैं और क्या उसका उपयोग करने के लिए हमारे पास उपयुक्त व्यवस्था है । मेरी राय में सरकार को वित्तीय नीतियां बनाने की अपेक्षा इस समस्या पर अपना ध्यान अधिक केन्द्रित करना चाहिये ।

मेरी समझ में सरकार को इसी समय इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि प्रत्येक वर्ष वित्तीय ढांचे में रद्दोबदल करना कहां तक उचित है । अब कम से कम तीन वर्ष तक उस मुख्य ढांचे में कोई परिवर्तन न किया जाये चाहे आवश्यकता के अनुसार कर भले ही बढ़ाये जायें ।

Shri Paliwal (Hindon) : Every year our development budget is rising and an effort is being made to create an impression that development work is proceeding at a great speed. But it can be said without the least dispute that the results of that development work are not commensurate with the expenditure incurred thereon. The hon. Home Minister deserves thanks for his clear admittance of the fact that our administration machinery has not proved equal to the task. This is in fact the main reason why our development projects have not yielded satisfactory results.

Without going into further details I would only emphasise on the basic point *viz.* we should not allow complacency and laxity in our efforts because there is no scope for drifting anymore. We are just on the edge of a precipice. If we allow the present situation to continue further, the future of our democratic system would be in danger.

This kind of laxity is apparent in several fields of our national life. Our new education minister after taking over the charge of his portfolio, realised that no coordinated and integrated educational system has been given to the country that might help to bring national solidarity and prosperity to the country. It was some thing which was more essential than material progress and material planning and still it has not been done. Therefore, the Education Minister felt that education should not remain exclusively a State subject and it should be at least a concurrent subject but he told us that several States did not agree with him on that point.

Similarly, several development projects are to be implemented through the medium of State Governments and this fact accounts for our slow progress.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कर सम्बन्धी रियायतें बम्बई में १६ अप्रैल, १९६४ को घोषित की गयी थीं और वे १७ अप्रैल, १९६४ के इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित की गयीं। माननीय वित्त मंत्री ने मुझे बताया कि इनमें से अधिकतर मदें उन्हीं संशोधनों से संबंधित थीं जिन्हें वे पेश कर चुके हैं। उन से मेरी प्रार्थना है कि वे इस बात पर विचार करें कि जो संशोधन १६ तारीख को जारी किये गये थे वे उसी दिन अखबारों के पास कैसे पहुंच गये। माननीय मंत्री इस बात की भी जांच करेंगे कि ऐसी कोई बात जो इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित नहीं हुई है जो उन संशोधनों में नहीं है।

एकाधिकार आयोग के सम्बन्ध में कुछ विरोधी सदस्यों की यह राय है कि विवियन बोस आयोग, आयकर जांच आयोग और महालनोबिस समिति आदि की रिपोर्टें प्राप्त होने के बाद इस आयोग की कोई जरूरत नहीं होगी। मुझे इस आयोग के सदस्यों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है लेकिन में यह नहीं समझ पाता कि प्रो० आर० के० हजारी जैसे कुछ प्रमुख अर्थ-शास्त्रियों को जिन्होंने विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं का सर्वेक्षण किया है, और कम्पनी कानून के डा० निगम जैसे विशेषज्ञों को इस आयोग में क्यों नहीं शामिल किया गया। हम यह भी चाहते हैं कि जनता के कुछ प्रतिनिधि अर्थात् संसद् सदस्य, इसमें सम्मिलित किये जाने चाहिये और राजनैतिक दलों तथा उन लोगों के प्रतिनिधियों को, जो आयोग के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहते हैं, आयोग के सामने आने का अवसर दिया जाना चाहिये।

हेवी इलेक्ट्रिकल सर्वेन्ट्स ट्रेड यूनियन के तीन प्रतिनिधियों को जिन्हें मैंने बातचीत के लिए और यह वक्तव्य जारी करने के लिए कि हर कर्मचारी तालाबन्दी उठा लिये जाने के बाद अपने अपने काम पर लौटें, दिल्ली बुलाया था, दिल्ली में ही गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं इस प्रकार नहीं चलायी जानी चाहिये। आज सरकारी परियोजनाएं कुछ पेन्शनरों के हाथ में हैं जिन में कोई उत्साह नहीं है। माननीय गृह-कार्य मंत्री, वित्त मंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे इस मामले में कुछ कार्रवाई करें।

मध्यम वर्ग के परिवारों को जो कर रियायतें दी गयीं उन से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि वे उच्चतम सीमा को और आगे बढ़ाने पर विचार करें और मेरे मित्र श्री काशीराम गुप्त द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार कर लें।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कल यह कहा था कि मैंने १ अप्रैल, १९६४ के अपने भाषण में मेसर्स सुन्दरम एण्ड कम्पनी के बारे में कुछ कहते हुए उन पर दोषारोप किया था। वास्तव में मैं ने माननीय मंत्री महोदय की ईमानदारी के सम्बन्ध में कभी कोई शंका नहीं की। लेकिन मैं पूछता हूं कि यह मामला प्रधान मंत्री के पास क्यों भेजा गया ? मेरी प्रार्थना केवल इतनी ही है कि इस मामले में खुली जांच करवायी जाये।

Shri Laxmi Das : Though our national income has increased by 46 per cent, yet poverty in the country has not lessened. The per capita income has not increased as anticipated. It clearly proves that our Central Government has failed to check profiteering and monopolistic tendency. It means that there is something wrong with our system of administration.

On the other side, unemployment is on the increase. In 1950-51 the number of registered unemployed was 3 lakhs but in 1960-61 it has gone up to 23 lakhs. Thus unemployment is increasing so rapdly that Government have failed in checking it or providing employment to the unemployed.

Though some industries have made good progress, yet agricultural production has not increased sufficiently. In spite of a slight increase in the overall production of goods, prices are still shooting up and the purchasing power of masses has decreased. Moreover, the capitalist have a tendency to take larger profits. They want at least 25 to 40 per cent profit on their goods. It leads to concentration of wealth in the hands of a few rich people on the one hand and paucity of employment on the other.

The institutions of Panchayati Raj and Community Development have failed to achieve their objects of decentralisation of power and people's participation in the development projects. Panchayats are still dominated by those people who already wielded power in villages and thus their hold on the masses still continues. Harijans are not given equal treatment in Panchayat Committees. Provision was made for construction of houses for Harijans through Panhcayat Committees, but at least in my constituency even the land has not been acquired in five years. This year an amount of about Rs. 8 crores has been earmarked for Panchayati Raj institutions. I would like to ask as to how the amount allocated last year has been spent and what arrangements would be made in future for housing the poor Harijans. Patels, Patwaris Jagirdars and Zamindars should not be allowed to have any share in the power of administration and the laws pertaining to villages should be modified accordingly.

As regards planning, we should make only such plans as may yield quick, results say within 3, 4 or 5 years. In my constituency, in Andhra Pradeshd Nagarjunsagar Project is under construction for the last 10 years and the State Government says that the amount of compensation to be paid in regard to that has increased from Rs. 90 crores to Rs. 140 crores. The Planning Commission does not take into anticipate the increase in dearness while formulating the plans. It is therefore requested that as the Andhra Pradesh Government cannot spend such a huge amount, the Central Government should take it over and complete it.

Further, most of our wealth has concentrated in the hands of a few industrial monopolists. A good deal of our income is being spent over Kashmir and Chinese dispute. I would request that we may negotiate with China and also settle somehow the Kashmir dispute. There would be no loss of prestige if we negotiate with China. We must find a way out to solve these issues during the life-time of Pandit Nehru so that we may divert that expenditure for the purposes of the plans.

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं। अपना भाषण प्रारम्भ करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूं। श्री मसानी ने स्वतन्त्र दल की ओर से बोलते हुए योजना आदि की आलोचना की थी और कहा था कि व स्वयं अधिक वय प्राप्त व्यक्ति हैं अतः हमें उनको कोई सलाह नहीं देनी चाहिये। आयु वृद्धि के साथ साथ कूटनीतिज्ञ में बुद्धिमत्ता बढ़ तो सकती है परन्तु कभी कभी केवल आयु में ही वृद्धि होती है ।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जब अहिन्दी भाषी लोग अंग्रेजी में अपने उत्तर लिखें और हिन्दी भाषी लोग अपनी मातृ भाषा हिन्दी में लिखें तो सरकार को अपनी मातृभाषा में न लिखने वाले प्रार्थियों को संरक्षण प्रदान करना चाहिये।

[श्रीमती यशोदा रेड्डी]

भारत में मगभग ८० चिकित्सा कालेज हैं जिनमें से १० गैर सरकारी हैं--२ आंध्र प्रदेश में तथा शेष अन्य स्थानों पर। भारत में डाक्टरों की वर्तमान संख्या केवल ८०,००० है तथा यहां प्रति ५,००० व्यक्तियों के पीछे एक डाक्टर है जब कि अमरीका में प्रति ५०० व्यक्ति के पीछे एक है। मुदालियर समिति और भोर समिति के अनुसार भी ५० लाख व्यक्तियों के पीछे एक मेडिकल कालेज होना चाहिये था, इसको देखते हुए हमारे यहां १० या १५ कालेज कम हैं । गैर सरकारी कालेज अच्छा कार्य कर रहे हैं। सरकार ने जनवरी, १९६३ में तो सभी सरकारी और गैर सरकारी कालेजों को यह परिपत्र भेजा था कि आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उन्हें अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की संख्या बढ़ानी चाहिये और इसके लिये उन्हें १५,००० रुपये का अनावर्ती और २००० रुपये का आवर्ती अनुदान प्रति अभ्यर्थी के हिसाब से दिया जायेगा। इन कालेजों ने तदनुसार कार्य किया परन्तु जुलाई, १९६३ में दाखिला होने के बाद सरकार ने सहसा ही बिना कोई सूचना दिये गैरसरकारी कालेजों को अनुदान देना बन्द कर दिया जो कि न्याय-संगत नहीं है । मैं वित्त मंत्री से यह अपील करती हूं कि कम से कम इस वर्ष तो उन १० कालेजों को ५० लाख रुपये का अनुदान दिया ही जाये। अन्त में मैं यह कह कर समाप्त करती हूं कि सरकार को गैर-सरकारी कालेजों के स्थापित किये जाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये ।

श्री मुरारका (झुंझनू) : जब वित्त विधेयक पारित हो जायेगा तो, संसार के अन्य किसी भी देश की तुलना में, हमारे देश में विस्तार रूप में तथा सघन रूप में दोनों ही प्रकार से सब से अधिक कर-भार होगा। विस्तार रूप में इसलिये १२ प्रकार के जो अपरोक्ष कर लगाये जा सकते हैं उसमें से ११ हमारे देश में होंगे, केवल एक उत्तराधिकार कर नहीं लगा है ; और गहन रूप में इसलिये कि यहां करों की दर बहुत ऊंची है जैसे कि मृत्य कर ८५ प्रतिशत तथा निगम कर ८० प्रतिशत आदि हैं।

मेरे जो मित्र यह कहते हैं कि भुवनेश्वर संकल्प की क्रियान्विति नहीं की गई उससे यदि उनका अर्थ है कि बेरोजगारी समस्या हल नहीं हुई अथवा उत्पादन के साधनों की मालिक सरकार नहीं बनी तो मैं उनसे सहमत हूं परन्तु यदि उनका अर्थ है कि धन का पुनर्वितरण करने के लिये अथवा कर आदि लगा कर आय को समान करने के लिये कुछ नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि उन्होंने विधेयक के उपबन्धों का अध्ययन नहीं किया है।

कुछ लोगों ने केवल यह सुझाव दिया है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। मैं कहूंगा कि यदि इसी से सब बुराइयां दूर हो सकती हैं तो वित्त मंत्री महोदय कम से कम उन लोगों की सन्तुष्टि के लिये ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण करें।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : उनकी सन्तुष्टि के लिये नहीं वरन् देश की सन्तुष्टि के लिये ।

श्री मुरारका : जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग का सहयोग आवश्यक है और यदि वे समझते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से आर्थिक अवस्था में सुधार हो जायेगा तो अवश्य ही राष्ट्रीय-करण करना चाहिये ।

हमारे राजस्व पर इस समय तीन मांगें हैं--विकास, प्रतिरक्षा और पुनर्वास--जिन्हें कि पूरा करना कोई सरल कार्य नहीं है ।

नया कर लगाते समय अथवा कर की दर को बढ़ाते समय करारोपण के कुछ मूल तथा ठोस सिद्धान्तों का अवश्यक ही पालन किया जाना चाहिये। नये कर को भविष्य की तिथि से लगाना चाहिये, भूतलक्षी प्रभाव से नहीं। इसे यदि कर लगाने का उद्देश्य आय वृद्धि करना नहीं अपितु धन का पुनर्वितरण अथवा समान वितरण आदि जैसा कुछ सामाजिक उद्देश्य हो तो भी कर को भूतलक्षी प्रभाव से नहीं लगाना चाहिये। तीसरे किसी भी व्यक्ति पर लगाये जाने वाले कर का कुल भार उसकी आय के १०० प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये ; इसी से प्रोत्साहन दिया जा सकता है। जहां तक कर अपवंचन का प्रश्न है वह तो संसार के प्रत्येक देश में होता है, यह दूसरी बात है कि किसी देश में वह कम हो तो दूसरे में अधिक। कर विधियां चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हों, कर प्रणाली चाहे कितनी भी सक्षम क्यों न हो, थोड़ा बहुत तो कर अपवंचन होगा ही। हमें वर्तमान कर अपवंचन को कम करने का प्रयत्न करना चाहिये। हमारे देश में यह एक अजीब बात है कि जो लोग कर देते हैं उन्हें कर अपवंचक कहा जाता है और जो लोग कभी कर नहीं देते उन्हें ईमानदार कहा जाता है।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : जो लोग कर देते हैं और जो नहीं देते उनके बीच माननीय सदस्य को इस प्रकार भेद नहीं करना चाहिये। कांग्रेस दल के अधिकांश सदस्य गरीब हैं जिन्हें कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिला। यह कहना गलत है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आय-कर नहीं देते अथवा जिन पर आय-कर विधियां लागू नहीं होतीं।

वर्तमान आय-कर विधि में कम्पनियों की परिभाषा बहुत ही दोषयुक्त है। उदाहरणार्थ, २०,००० अंशधारियों वाली कम्पनी को और जिनके अंश स्टाक एक्सचेंज में उद्धृत किये जा सकते हैं उन्हें तो कुछ लोगों की कम्पनी कहा जा सकता है, किन्तु जिसमें केवल १० ही अंशधारी हों उसे तो निगम अथवा उक्त प्रकार की कम्पनी नहीं समझा जाना चाहिये और उस पर पहले अधिनियम की धारा २३-ए अथवा वर्तमान अधिनियम की धारा १०४ लागू नहीं होनी चाहिए। परन्तु परिभाषा ही ऐसे है कि थोड़े से लोगों की कम्पनियों को भी ऐसा ही समझा जाता है और यही कारण है वित्त मंत्री ने कम्पनियों पर लगाये गये कर को ५० प्रतिशत से बढ़ा कर ६० प्रतिशत कर दिया है। यह परिभाषा असंगत है, इसकी जांच की जानी चाहिये तथा इस विषमता को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

उपहार कर चाहे कितना भी लगाया जाये अथवा उसमें कितनी भी वृद्धि की जाये, उसे भविष्य की किसी तिथि से लागू करना चाहिये भूतलक्षी प्रभाव से नहीं। क्योंकि भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर यह होगा कि यदि किसी व्यक्ति ने गत समय में अपने दायित्व को देखते हुए कोई उपहार दिया है तो अब बिन उसके किसी दोष के हो उसे बढ़ी हुई दरों पर पिछले कर देने का भार वहन करना होगा जो कि अनुचित है।

अब मैं व्यय कर के बारे में कुछ कहूंगा। यह व्यय कर जब लगाया गया था तो मंत्री महोदय ने कहा था कि उसके दो उद्देश्य हैं ; पहला यह कि आडम्बरपूर्ण दिखावे के व्यय को रोका जाये तथा दूसरा यह कि इस कर पद्धति से अन्य पद्धतियों के दोषों का पता लगाया जा सकेगा तथा उन्हें दूर किया जा सकेगा। अब प्रस्तावित संशोधन में वित्त मंत्री महोदय आपके माता पिता की देखभाल पर, बच्चों की शिक्षा पर, परिवार की चिकित्सा पर और आपकी पुत्रियों और आश्रितों के विवाह पर व्यय होने वाली धन राशि पर भी कर लगाना चाहते हैं, जो कि इस कर को लाने के पहले उद्देश्य के अधीन फिजूल खर्ची अथवा आडम्बरपूर्ण व्यय नहीं कहा जा सकता। माननीय मंत्री इस मामले पर पुनर्विचार करें और इस कर के सम्बन्ध में लोगों को कुछ राहत दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री महोदय ।

Shri K. C. Soy : On a point of order, Sir. For the last four-five days you have been calling the hon. Members in such a way that some hon. Members have got opportunity to express themselves more than once while some others could not get even a single chance. I walk out in protest of this system.

[श्री ह० च० सोय सदन से उठ कर चले गये ।]

[SHRI H. C. Soy left the Houses]

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मुझे यह आशा थी कि जो वित्तीय प्रस्ताव मैंने सदन के सम्मुख पेश किये हैं उन पर तीव्र आलोचना की जायेगी, परन्तु जो थोड़े से सदस्य बोले है उन्होंने इनके बारे में इतनी अधिक आलोचना नहीं की है जितना कि सरकार की आम नीतियों के बारे में कहा है ।

मेरी माननीया मित्र श्रीमती यशोदा देवी ने चिकित्सा कालेजों के बारे में सरकार पर कुछ आरोप लगाये हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब अधिक संख्या में प्रविधिके अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता हो तो इसके लिये उपयुक्त अवसर तथा सुविधा प्रदान की जानी चाहिये । यह मामला स्वास्थ्य मंत्रालय के पास भेज दिया जायेगा और मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ किया जायेगा । माननीय सदस्यों को अपने राज्यों के बारे में जो विशेष शिकायतें हैं उनके सम्बन्ध में मैं यह बता दूं कि मुझे भी थोड़ी कठिनाई क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुछ रुपया राज्यों को चला जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यों की पंचवर्षीय योजनाओं की योजना आयोग जांच करता है तथा उन्हें केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से रुपया देने के लिये कहता है। अब यदि राज्य उसके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण तथा आवश्यक मदों पर रुपया व्यय नहीं करते हैं तो फिर से नवीन धनराशि की व्यवस्था करना केन्द्र के लिये कठिन होता है।

श्री बनर्जी ने समय से पूर्व जानकारी मालूम हो जाने का प्रश्न उठाया था जो कि एक आम बात है। समाचार पत्रों के प्रतिनिधि हमसे जानकारी प्राप्त करने के सतत प्रयत्न करते हैं और हम उसे रोक रखने का और कभी कभी इस खींचातानी में उन्हें सफलता मिल जाती है । 'इकानामिक टाइम्स' के प्रति हमारी कोई विशेष सहानुभूति नहीं है। प्रस्तावित संशोधनों की सूचना तथा उसकी एक प्रति लोक-सभा सचिवालय द्वारा १४ अप्रैल, १९६४ को सायंकाल ५ बजे प्राप्त कर ली गई थी और १६ अप्रैल की प्रातः काल को प्रस्तावित संशोधनों की प्रतियां सदस्यों को मिल गई थीं। 'इकानामिक टाइम्स' का कोई संवाददाता संशोधन में दी गई जानकारी को किसी प्रकार प्राप्त करने में संलग्न रहा होगा जिसमें उसे सफलता मिल गई होगी तथा इस प्रकार यह समाचार १७ अप्रैल की इस पत्रिका में प्रकाशित हो गया होगा। इस बारे में मैं बस इतना ही कह सकता हूं।

मेरे माननीय युवक मित्र श्री नाथ पाई ने, गोखले अर्थशास्त्र संस्था द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर, गन्दी बस्तियों का प्रश्न उठाया था तथा शोलापुर नगर का उदाहरण दिया था। शोलापुर की गन्दी बस्तियों की दशा वास्तव में ही भारत के अन्य नगरों की इन बस्तियों की अपेक्षा बहुत खराब है तथा शोचनीय है। प्रत्येक नगर में गन्दी बस्तियों की संख्या बढ़ोतरी पर है। परन्तु समस्या यह है कि यदि किसी राज्य की सरकार उन लोगों को बसाने के लिये कोई कार्यवाही करती है तो फिर ऐसी नई गन्दी बस्तियां बन जाती हैं। नगरीय क्षेत्रों का ग्रामीण क्षेत्रों से पृथक विभाजन नहीं किया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुछ होता है, जैसे अकाल आदि उसका नगरों पर भी प्रभाव पड़ता है। गांवों में रोजगार न मिलने पर लोग नगरों में जाते हैं तथा मकान की

व्यवस्था न होने के कारण गन्दी बस्तियां इस प्रकार बन जाती हैं तथा साथ ही उनकी बुराइयां भी विकसित होती हैं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]।

]MR. SPEAKER *in the chair*]

शोलापुर के कारखानों में एक एक घर में आंध्र प्रदेश के ५०–५० बुनकर कार्य करते हैं। वहां पर शरणार्थियों के लिये बनाये ३०० मकान खाली पड़े थे और मैंने वहां के कलेक्टर से कहा था कि भारत सरकार इन लोगों को उनमें मुफ्त अथवा मामूली किराये पर बसाने के लिये तैयार हो जायेगी ।

गन्दी बस्तियों में वे लोग रहते हैं जिनका गुजारा भी नहीं हो पाता, परन्तु उनमें बहुत से ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि अनेक परिस्थितियों तथा कारणोवश अच्छी आय होते हुए भी मकान का अधिक किराया देने की स्थिति में नहीं होते और इन गन्दी बस्तियों में जाकर रहते हैं। ये गन्दी बस्तियां हमारी आर्थिक अवस्था में सब से खराब हैं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि गत १५–१६ वर्षों में हमने कोई प्रगति नहीं की है। हां, यह बात ठीक है कि हमारी प्रगति संतोषजनक नहीं रही है क्योंकि हमारी मांगें बहुत अधिक है। हमें जो किसी एक समस्या को हल करते हैं तो इससे दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। दो पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा की व्यवस्था में वृद्धि की गई है और आज हम लगभग ५० प्रतिशत लोगों को शिक्षा दे रहे हैं परन्तु इस के साथ ही बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ रही है और आज शिक्षित महिलायें भी इसका शिकार हैं। जीवन की अवधि और जनसंख्या में वृद्धि होने से भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। हम यह नहीं कह सकते कि किसी अनुमान समय के अन्दर हम बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकेंगे क्योंकि देश की अर्थ व्यवस्था के विकास के साथ साथ ही बेरोजगारी की समस्या कई गुनी बढ़ जाती है।

प्रशासनिक व्यवस्था की असफलता के बारे में तो कुछ हद तक माना जा सकता है परन्तु इस का सारा उत्तरदायित्व उन्हीं लोगों पर नहीं है जिनके हाथ में प्रशासन है। यह सच है कि हम सरकारी क्षेत्र में अधिक उपक्रम प्रारम्भ करना चाहते हैं परन्तु साथ ही गैरसरकारी क्षेत्रका विकास भी चाहते हैं और इसलिये आज इन दोनों क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रतिभा वाले व्यक्तियों को प्राप्त करने के मामले में प्रतिस्पर्धा है और हमें पर्याप्त व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं। गत दो तीन महीनों में वित्त मंत्रालय के सभी कर्मचारियों पर बहुत अधिक कार्य भार रहा है और इसलिये यदि दो एक गलती हो जाती हैं वे तो क्षम्य हैं ।

भारतीय प्रशासन सेवा के सफल उम्मीदवारों में से मद्रास अथवा दक्षिण भारत के अभ्यार्थियों की सख्या में जो कमी हुई है उसके लिये केन्द्रीय सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता। मद्रास में १९५२ से स्थानीय भाषायें शिक्षा का माध्यम बना दी गई हैं और उनमें वे अपने को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हों, यह इसका कारण हो सकता है। शिक्षा के स्तर में सुधार होने पर तथा अधिक अच्छे शिक्षण की व्यवस्था होने पर लगभग १० वर्ष बाद इस के सुपरिणाम देखे जा सकते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मामले में हुआ है।

मैं हिन्दी विरोधी व्यक्तियों में से एक नहीं हूं। अन्त में यह भाषा ही भारत की जनभाषा होगी, चाहे मैं इसे न सीखूं। हिन्दी प्रेमियों से मेरा यह कहना है कि यदि वे हिन्दी को भारत की राष्ट्र भाषा बनाना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिये दो पीढ़ियों तक प्रतीक्षा करनी होगी ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : क्या खूब कहा ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हिन्दी आयेगी और अवश्य आयेगी और हमें उसे लाना भी चाहिये ।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती के साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार तो सरकार का कोई भी कार्य लोगों के हित में नहीं है तथा हम भारत में विदेशी पूंजी का निर्माण कर रहे हैं जैसा कि इसी से हमें सब कुछ मिल जायेगा तथा हम १९६७ के चुनावों में जीत जायेंगे । यह सर्वथा अनुचित दृष्टिकोण है जिस के बारे में इस से अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता ।

श्री मसानी के प्रति मेरे हृदय मैं आदर की भावनायें हैं । परन्तु उन का यह कहना उचित नहीं कि किसी बात के लिये मैं उत्तरदाय हूं और किसी के लिये नहीं हू। वित्त मंत्री के रूप में जो संशोधन मैं ने करने हैं उन के लिये मैं उत्तरदायी हूं । मेरे और उन के दृष्टिकोणों में मूलभूत अन्तर है यदि वह कहना चाहते हैं कि अपने प्रयत्नों के बावजूद भी मैं वह] परिस्थितियां नहीं पैदा कर पाया हूं जो कि मैं चाहता था तो वह ऐसा कह सकते हैं परन्तु वास्तव में तो वातावरण को जो जान बूझ कर दूषित किया जा रहा है । मेरे माननीय मित्र श्री मोरारका ने कहा है कि इस क्षेत्र में रियायतें दी गई हैं, उसमें नहीं, जब कि वास्तव में हम ने जो परिवतन किये हैं उन में बहुत रियायतें दी गई हैं । करों के रूप में आप के साधनों में उलट फेर करने से व्यक्तिगत कर में ३६ करोड़ रुपये और अधि-लाभ कर में ३० करोड़ रुपये की हानि हुई है परन्तु इसे अच्छी प्रकार से कर एकत्रित कर के अपना अन्य किसी साधन से पूरा किया जायेगा ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी की आलोचना के उत्तर में मैं यह कहना चहता हूं कि १९५६ में हमारा राजस्व १५० करोड़ रुपये का था और आज यह ५२१ करोड़ रुपये का है सम्पत्ति कर, उपहार कर आदि लाभ कर अच्छी वसूली कर के ही यह वृद्धि सम्भव हो सकी है। कर पद्धति के दोषों को रोकने के लिये ही मैंने व्यय कर को फिर से परिवर्तित रूप में लगाया है ।

कुछ साम्यवादी मित्र कहते हैं कि निगमित क्षेत्र को बहुत अधिक रियायतें दे दी गई हैं । निगमित क्षेत्र को जो रियायतें दी गई हैं वे संचितियों को बढ़ाने के उद्देश्य से दी गई है । भविष्य मैं विनियोजन के लिये हमारी बचत का अधिकांश भाग निगमित क्षेत्र ही प्राप्त होगा तथा बचत को सामान्य लोगों से ही एकत्रित किया जायेगा । कुछ समय के पश्चात् बड़ी बड़ी समपदायें समाप्त हो सकती हैं परन्तु फिर नई समस्या बन जायेंगी, चाहे व इस अनुपात मेंन हीं । एकाधिकारों को यदि विधि बना कर समाप्त कर दिया जायगा तो नवीन एकाधिकार पैदा हो जायेंगे ।

श्री मुरारका ने जो कहा है वह ठीक है कि व्यय कर की छूट वापस ले ली गई है, परन्तु इस की दो दरें पहले १०० प्रतिशत तक पहुंच चुकी थीं वह अब केवल २० प्रतिशत है और मैं दो वर्ष तक केवल १५ प्रतिशत कर ही एकत्रित करूंगा । ३६,००० रुपये अथवा उस से अधिक व्यय करने वाले व्यक्ति इस कर को भली भांति दे सकते हैं । बड़े बड़े फ्लैटों में रहने वाले जो लोग ५०० रुपये से २००० रुपये तक प्रति माह किराया देते हैं उन से ही यह कर वसूल किया जायेगा । इसलिये यह आरोप है ठीक नहीं कि व्यय कर में अधिक छूट दी जानी चाहिये ।

श्री मसानी ने यह कहाथा कि हम अपनी शक्तियों का कम अनुमान लगाते हैं तथा अपने काम का अधिक, परन्तु यह बात ठीक नहीं है । १९६३–६४ के आय-व्ययक में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का ६०८ करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था, संशोधित अनुमान ६९० करोड़ रुपये का था और आज

वास्तविक प्राप्ति ६९५ करोड़ रुपये की है। सीमा शुल्क का आयव्ययक में अनुभाग ३·२१ करोड़ रुपये का था, संशोधित अनुभाग ३२० करोड़ रुपये का था और अन्तिम वास्तविक प्रति ३२४ करोड़ रुपये की है। ८१ करोड़ अधिक संख्या तो हमने जमा किया है परन्तु वह बहुत कठिनाई से हुआ है।

करों की बकाया राशि की स्थिति संतोषजनक है। इस बकाया राशि का अनुपात हमारी करों की मांग के अनुपात में कोई बहुत अधिक नहीं है। हम अच्छी वसूली करने की आशा करते हैं। तथापि, क्योंकि कर लगाये जाने वाली आय अधिक हो जायेगी अतः बकाया राशि के कम होने की सम्भावना नहीं है। फिर कर अपवंचन आदि जैसे अन्य मामले भी हैं।

आदिवासी दलित क्षेत्रों के विकास में सरकार अधिक और विशेष रुचि ले रही है। जब मेरे नये सहयोगी पुनर्वास मंत्री का शरणार्थियों का पुनर्वास संबंधी कार्य समाप्त हो जायेगा तो विशेष क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया जायेगा और आदिवासी क्षेत्र उन विशेष क्षेत्रों में से एक होगा। हमें यह ज्ञात है कि अनसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को मिला कर एक ही स्तर पर रख कर अनुसूचित आदिम जातियों के साथ हमने न्याय नहीं किया है। मैं यह प्रयत्न करूंगा कि आदिवासी क्षेत्रों में अधिक रुचि ली जाये।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परमाणी) : थोड़ा स्पष्टीकरण किया जाये। आज गैर अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले एक आदिवासी को उसको दिये जाने लाभ नहीं मिलते और ऐसे भी मामले हैं जिन में पति को तो अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्र का होने के कारण आदिवासी माना जाता है परन्तु गैर-अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्र से आने वाली उस की पत्नी की वे समस्त सुविधायें प्रदान नहीं की जांती। इस मामले में सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : आवासिक अर्हता की विषमतायें अनेक हैं। इस का ब्यौरा बहुत लम्बा है जिसमें इस समय सदन को नहीं बता सकता। बस इतना ही कह सकता हूं कि सरकार का यह निर्णय है कि इन विशेष क्षेत्रों के विकास कार्य के उत्तरदायित्व को सरकार अपने उपर लेगी।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : कमजोर वर्गों और आदिवासियों के लिये एक धनराशि निर्धारित क्यों न कर दी जाये ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस से क्या होगा क्योंकि इस धनराशि का उपयोग भी तो करना होगा, और वह उपयोग भी तो फिर मानवीय प्रयत्नों और प्रशासन द्वारा ही किया जायेगा।

श्री नाथपाई ने मूल्यों का प्रश्न उठाया था और विशेष रूप से मूंगफली का उल्लेख किया था। मूंगफली की फसल एक वर्ष यदि बहुत अच्छा होती है तो उस के मूल्य गिर जाते हैं और परिणामस्वरूप दूसरे लोग इस को नहीं बोते जिस से कि कम उत्पादन के कारण उस के मूल्य फिर चढ़ जाते हैं। इस का इतिहास रहा है। जिन्हों ने बनस्पति तेल का उत्पादन हमारी उपभोग की आवश्यकताओं की अपेक्षा कम है। अधिक मूल्य रखने से कुछ नहीं होगा बनेगा क्योंकि हमारे मूल्य संसार के मूल्यों की अपेक्षा अधिक हैं। यदि हम बनस्पति तेल का निर्यात करें तो हमें राज्य व्यापार निगम को लगभग ५०० रुपये प्रति टन की आर्थिक सहायता देनी होगी। यह बहुत अधिक मूल्य होगा क्योंकि इस की स्थानीय मांग है। मैं समझता हुं कि प्रोत्साहन दे कर इस का अधिक उत्पादन किया जा सकता है। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और योजना आयोग के साथ मिल कर इस मामले की जांच की जा रही है।

मेरे माननीय मित्र ने दूसरी बात यह कही थी कि चावल अथवा गेहूं का उत्पादन तो बढ़ गया है परन्तु प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है, केवल कुछ एक क्षेत्रों के मामलों में यह सच हो सकती है मेरे अपने राज्य में चावल का उत्पादन दुगना हो गया है परन्तु इस के एकड़ क्षेत्र में २५ प्रतिशत भी वृद्धि नहीं हुई हैं। उत्तर अरकाट जिला ने जो कि चावल के उत्पादन में छठा था, कठिन परिश्रम और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था कर के आज चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। तंजोर में उत्पादन में इतनी वृद्धि नहीं हुई हैं क्योंकि वहां सिंचाई के साधन पुराने ढंग के हैं। यह कहना ठीक नहीं कि प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि तंजोर में भी ऐसे फार्म हैं जहां ३,२५० पौंड प्रति एकड़ उत्पादन होता है।

यह कहना ठीक नहीं है कि प्रति एकड़ उत्पादन नहीं बढ़ा है ; फिर भी मैं इस बात से सहमत हूं कि सघन खेती में काफी सुधार की गुंजाइश है। हम उर्वरक उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं परन्तु आशा है कि शीघ्र ही उर्वरक की समस्या हल हो जायेगी।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : मैंने सुझाव दिया है कि शरणार्थियों को पुनर्वास के लिये विश्व संगठनों से सहायता प्राप्त की जानी चाहिये। सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: मैं मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है, परन्तु हम स्वयं इस समस्या का सामना करने के लिये सक्षम हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये केन्द्रीय सराकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक-सभा में मत्त विभाजन हुआ

Lok Sabha Divided

पक्ष में १४७; विपक्ष में---१४

Ayes---147; Noes---14

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड २ पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड ३---वार्षिकी जमा

संशोधन किया गया :

Amendment made :

पृष्ठ ४, पंक्ति २७ से ३० के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"3. (1) Save as otherwise provided in Chapter XXIIA of the Income-tax Act, annuity deposit for the assessment year commencing on the 1st day of April, 1964 shall be made by every person to whom the provisions of that Chapter apply at the rates specified in the Second Schedule."

["३.(१) आयकर अधिनियम के अध्याय २२क में अन्यथा उपबन्धित किसी बात के होते हुए भी, १ अप्रैल, १९६४ से प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिये वार्षिकी जमा प्रत्येक उस व्यक्ति द्वारा की जायेगी जिस पर कि उस अधिनियम के उपबन्ध लागू होंगे और उस दर के अनुसार जो कि दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं ।"।) (२९)

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

श्री मो० रु० मसानी (राजकोट) : मैं विधेयक के खण्ड ३ का विरोध करता हूं । सरकार की अनिवार्य जमा योजना इतनी बुरी नहीं थी क्योंकि जमा करने वाले व्यक्ति को यह एक प्रकार की अस्तियां थीं जो उसे पांच वर्षों में वापस मिल जाती थीं और उस राशि पर कर भी नहीं लगता था । परन्तु वार्षिकी जमा एक प्रकार का आस्थगित कर है । इस पर प्रतिवर्ष कर बढ़ता जायेगा । वृद्ध व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य व्यक्तियों को इससे बहुत कठिनाई होगी । सरकार जो ४ प्रतिशत ब्याज देने जा रही है, वह पर्याप्त नहीं है । इस बात का भी पता नहीं है कि भविष्य में कड़े कदम नहीं उठाये जायेंगे और जमा धन राशि वापस भी दी जायेगी अथवा नहीं । सरकार का अनुमान है कि वह वार्षिकी जमा योजना के अन्तर्गत ५०–६० करोड़ रुपये प्राप्त कर सकेगी । इतनी बड़ी धनराशि पर लोग १० या १५ प्रतिशत तक लाभ प्राप्त कर सकते थे और इस राशि को देश के आर्थिक विकास कार्यों में लगाया जा सकता था । इस योजना के बारे में अधिक जानकारी हो जाने पर अनिवार्य जमा योजना की तरह इस योजना का भी जनता द्वारा विरोध किया जायेगा । इन कारणों से मैं इस समूची योजना का विरोध करता हूं ।

श्री मुरारका (झुझुनू) : नये संशोधन के अनुसार यह योजना अनिवार्य नहीं है । यदि कोई व्यक्ति यह जमा नहीं करना चाहता है, तो ५० प्रतिशत अतिरिक्त कर देकर इससे मुक्ति पा सकता है ।

श्री मो० रु० मसानी : यदि कोई व्यक्ति यह जमा नहीं करना चाहता है तो उससे इतना अधिक वसूल करना क्या उचित कहा जा सकता है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: मैं वार्षिकी जमा योजना के बारे में पहले ही स्पष्टीकरण दे चुका हूं । यह कहना कतई गलत है कि हम बिना किसी उद्देश्य के इन लोगों से यह धनराशि प्राप्त कर रहे हैं । १५,००० रु० से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर ही यह योजना लागू होगी और ब्याज की दर ५ प्रतिशत से आरम्भ होती है । श्री मसानी चाहते हैं कि जब यह धनराशि वापस दी जाये तो इस पर कर न लगाया जाये । यह सम्भव नहीं है । क्योंकि वे लोग उस धनराशि पर कोई कर नहीं देते हैं । काफी लोगों को इस योजना से लाभ पहुंचेगा । इस योजना पर का मुख्य उद्देश्य यह है कि १५,००० रु० से अधिक आय वाले व्यक्तियों के हाथों में कुछ रकम स्थिर कर दी जाये ताकि कीमतें अधिक ऊंची न जा सकें ।

श्री रंगा : परन्तु जिस रकम पर एक बार कर लगा दिया गया है, उस पर प्रतिवर्ष कर लगाने का क्या औचित्य है ? वित्त मन्त्री का इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सरकार के लिये अधिकाधिक पैसा प्राप्त करना है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : प्रारम्भ में इस राशि पर कोई कर नहीं लगाया जाता है परन्तु जब यह राशि वापस लौटाई जाती है तब इस पर कर लगाया जाता है ।

श्री रंगा : जब सरकार जनता से ऋण प्राप्त करती है तो उस पर कोई कर नहीं लगाया जाता है । अतः वही लाभ इन लोगों को भी क्यों नहीं दिया जाता है जिनसे सरकार अनिवार्य रूप से वार्षिक जमा करने के लिये कह रही है ? उस राशि पर भी कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिये । यही मेरी आपत्ति है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस बारे मे मुझे केवल यही कहना है कि लोगों से सरकार जो ऋण प्राप्त करती है, उसमें कर भी शामिल है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड ३, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 as amended, was added to the Bill.

खण्ड ४—(धारा २ का संशोधन) ।

संशोधन किया गया :

Amendment made

पृष्ठ ४, पंक्ति २५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

'4. In section 2 of the Income-tax Act,—

(*a*) In clause (18),—

(*i*) for sub-clause (*a*), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

(*a*) if it is a company owned by the Government or the Reserve Bank of India or in which not less than forty per cent. of the shares are held (whether singly or taken together) by the Government or the Reserve Bank of India or a corporation owned by that bank; or"

(*ii*) in *Explanation* 2, for the words, brackets and figures "any such company as is referred to in sub-clause (2) of clause (*iii*) of section 109", the words "an Indian company whose business consists wholly in the or manufacture processing of goods or in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form of power" shall be substituted;

(*b*) after clause (22), the following clause shall be inserted, namely :—

("22A) 'fair market value', in relation to a capital asset, means—

(*i*) the price that the capital asset would ordinarily fetch on sale in the open market on the relevant date ; and

(*ii*) where the price referred to in sub-clause (*i*) is not ascertainable, such price as may be determined in accordance with the rules made under this Act;" :

(*c*) in clause (24)—'.

['४ आयकर अधिनियम की धारा २ में,—

(क) खण्ड (१८) में,—

(१) उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाँये, अर्थात्—

"(क) यदि यह सरकारी या भारत के रिजर्व बैंक का समवाय है या जिसमें सरकार या भारत के रिजर्व बैंक या उस बैंक के निगम के ४० प्रतिशत से कम अंश (अलग अलग अथवा एक साथ) नहीं है ; या";

(२) व्याख्या २ में, "धारा १०९ के खण्ड (३) के उपखण्ड (२) में उल्लिखित ऐसा कोई भी समवाय" शब्द, कोष्टक और अंकों के स्थान पर "कोई भारतीय समवाय जिसका काम माल बनाना अथवा उसका परिष्कार करना अथवा खनन अथवा बिजली उत्पादन अथवा वितरण हो" शब्द रख दिये जायें;

(ख) खण्ड (२२) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रखा जाये, अर्थात् :—

"(२२क) पूँजी आस्तियों के सम्बन्ध में 'उचित बाजार भाव' का अभिप्राय है—

(१) वह मूल्य जो कि उस दिन खुले बाजार मे पूँजी आस्तियों को बेचने से मिलेगा ; और

(२) जबकि उपखण्ड (१) में निर्दिष्ट मल्य के बारे मे निर्धारण नहीं हो सकता, ऐसा मूल्य जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुकूल हो; ";

(ग) खण्ड (२४) में—' ।] (३०)

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

श्री मी० रु० मसानी : मैं अपना सशोधन संख्या १०४ प्रस्तुत करता हूं । इसका अभिप्राय यह है कि वार्षिकी जमा राशि तथा उस पर ब्याज पर कर नहीं लगना चाहिए ।

मध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०४ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amedment No. 104 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड ४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

खंड ५ विधेयक जो जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड ६— (धारा १० का संशोधन)

संशोधन किये गये :

Amendments made—"following sub-clause"

(१) पृष्ठ ५, पंक्ति २०, ("निम्नलिखित उपखण्ड") के स्थान पर "
"following sub-clauses" ["निम्नलिखित उपखण्डों"] शब्द रखे जायें ।
(३१)

(२) पृष्ठ ६, पंक्ति ६ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये—
"any other case :

(**x**) any sum due to or received by him, during the twenty-four months commencing from the date of his arrival in India, for undertaking any research work in India, provided the following conditions are fulfilled, namely :—

(**a**) the research work is undertaken in connection with a research scheme approved in this behalf by the Central Government on or before the 1st day of October of the relevant assessment year; and

(**b**) such sum is payable or paid directly or indirectly by the Government of a foreign State or any institution or association or other body established outside India;";

["कोई अन्य मामला :

(१०) उसके भारत में कोई भी गवेषणा कार्य करने के लिये भारत में पहुंचने की तारीख से २४ महीनों के दौरान उसके द्वारा देय अथवा प्राप्त कोई भी राशि, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जायें, अर्थात्:—

(क) वह गवेषणा कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निर्धारण वर्ष के १ अक्तूबर को अथवा उसके पूर्व अनुमोदित किसी गवेषणा योजना के सम्बन्ध में किया जाये ; और

(ख) ऐसी राशि किसी विदेशी सरकार अथवा किसी संस्था अथवा संघ अथवा भारत के बाहर स्थापित अन्य किसी निकाय द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः देय हो अथवा दी जाती हो ;" ;] (३२)

(श्री ति० त० कृष्णमाचारी)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

खंड ७ से ९ विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 7 to 9 were added to the Bill.

खण्ड १०—(धारा ४० का संशोधन) ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ८, पंक्ति ३१, "any expenditure" ["किसी व्यय"] के पश्चात् "incurred after the 29th day of February, 1964 ["२९ फरवरी, १९६४ के पश्चात् किया गया" रखा] जाये । (३३)

(२) पृष्ठ ८, पंक्ति ३८ और ३९, "the 29th day of february, 1964" ["२९ फरवरी, १९६४"] के स्थान पर " the aforesaid date " ["उपरोक्त तिथि"] रखा जाये । (३४) ।

(३) पृष्ठ ९, पंक्ति २ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"any payment by way of gratuity or the value of any travel concession or assistance referred to in clause (5) of section 10 or passage moneys or the value of any free or concessional passage referred to in sub-clause (*i*) of clause (6) of that section or any sum referred to in".

["धारा १० के खण्ड (५) में निर्दिष्ट उपदान या किसी यात्रा रियायत या सहायता के मल्य अथवा उस धारा के खण्ड (६) के उपखण्ड (१) में निर्दिष्ट यात्रा राशि या किसी मुफ्त या रियायती यात्रा के मूल्य अथवा में निर्दिष्ट किसी राशि के रूप में कोई भुगतान।"] (३५)

श्री हिम्मत सिंहका (गोडडा) : मैं अपना संशोधन संख्या १२६ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : किसी समवाय द्वारा अपने कर्मचारी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुविधा देने पर खर्च किये गये व्यय पर काफी समयसे कोई कर नहीं लगाया जाता रहा है। क्या सरकार यह समझती है कि इस कारण काफी बड़ी राशि कर से मुक्त रही है अथवा उसका उद्देश्य प्रत्येक गैर सरकारी समवायों के काम में हस्तक्षेप करना है । यह सीमा कुल व्यय के पांचवें हिस्से के बराबर रखने का क्या औचित्य है । मिल मालिकों द्वारा विशेष कर अहमदाबाद में कर्मचारियों को बहुत

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

अधिक बोनस दिया जाता है। क्या यह उपबन्ध दोहरा कर लगाने के लिये लाया जा रहा है। बजट प्रस्तावों के अनुसार उसी राशि पर तीन बार कर लगेगा। पहले तो समवाय को कर देना पड़ेगा और जिस कर्मचारी को सुविधा दी जायेगी उसे कर देना पड़ेगा और तीसरी बार कर्मचारी को इन मदों पर व्यय कर देना पड़ेगा। अतः इन प्रस्तावों की कार्यान्विति से बहुत कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी। बड़े बड़े शहरों में मकान किराये बहुत अधिक हैं और मकान की सुविधा ही कर्मचारी के वेतन के २० प्रतिशत से अधिक मूल्य की बैठेगी। कर्मचारी को समवाय के हित में कुछ सुविधायें देना जरूरी है। सरकार को करदाताओं पर और अधिक भार नहीं डालना चाहिये। और यह सीमा नहीं लगानी चाहिए। अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री हिम्मतसिंहका : मैं अपना संशोधन संख्या १२६ प्रस्तुत करता हूं। मेरे संशोधन का अभिप्राय सीमा को $^{1}/_{5}$ की बजाय $^{3}/_{5}$ करना है। इस सीमा को इतना कम रखना न्यायसंगत नहीं है।

श्री मी० रु० मसानी : इस संशोधन के द्वारा सरकार तिहरा कर लगाने जा रही है। यदि सरकार इस सिद्धान्त को अच्छा समझती है तो उसे स्वयं इसका पालन करना चाहिये। मंत्रियों को जो सुविधायें दी जाती हैं वे उनके वेतन के २० प्रतिशत से अधिक मूल्य की नहीं होनी चाहिये। केवल गैर-सरकारी समवायों पर इसे लागू करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री प्रभात कार : मैं श्री त्रिवेदी के संशोधन का विरोध करता हूं। यह खण्ड केवल बड़ा वेतन पाने वाले कर्मचारियों तक ही सीमित है अतः इस बारे में बोनस का प्रश्न ही नहीं उठता। अब भी इन सुविधाओं पर कर लगता है परन्तु ये लोग छल से कर विधियों से बच निकलते हैं। यदि ऐसे कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का सुझाव दिया जाता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती क्योंकि इस प्रकार वे कर से नहीं बच पायेंगे और अपने वेतन से अपनी सुविधाओं की व्यवस्था भी कर सकेंगे।

श्री मुरारका : मैं चाहता हूं कि यह सीमा १/५ या ५०० रु०, इनमें से जो भी राशि अधिक हो, होनी चाहिये। इससे ७०० या ८०० रु० पाने वालों को राहत मिलेगी।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : गैर-सरकारी समवाय इन सुविधाओं की आड़ में काफी बड़ी राशि कर के रूप में बचाने में सफल हो जाते हैं। दिल्ली में ऐसे उदाहरण हैं जब कि मकानों का किराया ४००० रु० दिखाया जाता है परन्तु उनमें रहने वालों से वास्तव में बहुत थोड़ा किराया लिया जाता है। हमने पिछले वर्ष इन लोगों के वेतन कम करके गलती की। मैं श्री प्रभात कार से सहमत हूं कि समवाय अपने कर्मचारियों को इन सुविधाओं की बजाय अधिक वेतन दें ताकि हम कर प्राप्त कर सकें।

श्री मी० रु० मसानी : यह सिद्धान्त मंत्रियों पर भी लागू किया जाना चाहिये।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मंत्री काफी त्याग करने के बाद मंत्री पद प्राप्त करते हैं। उनके पीछे बड़े उद्योगपति नहीं हैं जो किसी व्यक्ति का भाग्य बदल सकते हैं अतः माननीय सदस्य को इस प्रकार की आलोचना नहीं करनी चाहिये। यदि समवाय २० प्रतिशत पर्याप्त नहीं समझते हैं, तो उन्हें अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की अनुमति है। अतः मैं अपने संशोधन पर दृढ़ हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

(१) पृष्ठ ८, पंक्ति ३१, "any expenditure ["किसी व्यय"] के पश्चात् incurred after the 29th day of February 1964]" २९ फरवरी, १९६४ के पश्चात् किया गया "] रखा जाये। (३३)

(२) पृष्ठ ८, पंक्ति ३८ और ३९, "the 29th day of february, 1964" [" २९ फरवरी, १९६४ "] के स्थान पर "the aforesaid date" " [उपरोक्त तिथि "] रखा जाये। (३४)

(३) पृष्ठ ९, पंक्ति २ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:—

"any payment by way of gratuity or the value of any travel concession or assistance referred to in clause (5) of section 10 or passage moneys or the value of any free or concessional passage referred to in sub-clause (*i*) of clause (6) of that section or any sum referred to in".

[" धारा १० के खण्ड (५) में निर्दिष्ट उपदान या किसी यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य अथवा उस धारा के खण्ड (६) के उपखण्ड (१) में निर्दिष्ट यात्रा राशि या किसी निःशुल्क या रियायती यात्रा के मूल्य अथवा में निर्दिष्ट किसी राशि के रूप में कोई भुगतान।"] (३५)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ मतदान के लिए रखा जाय गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 3 was put and negatived.

संशोधन संख्या १२६ सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

Amendment No. 126 was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड १०, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

खण्ड ११

श्री हिम्मत सिंहका : मैं अपना संशोधन संख्या १२७ प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ११ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11 was added to the Bill.

खण्ड १२

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं संशोधन संख्या ३६ प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं । मैं केवल संशोधन संख्या २०० प्रस्तुत कर रहा हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ १०, पंक्ति १४ से २५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), every equity shareholder to whom any shares are allotted by the company by way of bonus shall, unless such shares are issued wholly out of the share premium account, be chargeable to income-tax under the head "Capital gains" in respect of such shares on an amount equal to the fair market value of such shares on the date next following the expiry of the period of thirty days from the date of such allotment and such amount shall be deemed to be the income of the previous year in which the date next following the aforesaid period of thirty days falls :

Provided that income-tax shall not be chargeable under this sub-section if such shares are included in the stock-in-trade of the assessee or if such shares were alloted before the 1st day of April, 1964 ;

Provided further that nothing contained in section 48 shall apply to the income chargeable under the head "Capital gains" under this sub-section.

Explanation.—For the removal of doubts, it is hereby declared that income chargeable under the head "Capital gains" under this sub-section shall, for the purposes of this Act, be treated as capital gains relating to capital assets other than short-term capital assets.

(3) Where any shares in respect of which an assessee is chargeable to income-tax under the head "Capital gains" under sub-section (2) are transferred by him before the expiry of the period of thirty days referred to in that sub-section, any profits or gains arising from such transfer shall not be included in his total income.

(4) Save as otherwise provided in sub-section (3), nothing contained in sub-section (2) shall be deemed to"

["(२) उप-धारा (१) में कोई अन्य उपबन्ध होने पर भी हर सामान्य अंशधारी को, जिसे बोनस के रूप में कम्पनी ने कोई अंश दिये हों, जब तक ऐसे सारे अंश शेयर प्रीमियम खाते में से जारी न किये गये हो, पूंजीगत लाभ नामक शीर्षक के अन्तर्गत अंश नियत करने की तिथि से ३० दिन की अवधि की समाप्ति पर अगले दिन ऐसे अंशों के उचित बाजार मूल्य के बराबर रकम

पर अंशों के सम्बन्ध में आय-कर देना होगा और ऐसी रकम उस पहले वर्ष की आय समझी जायेगी जिसमें ३० दिन की उक्त अवधि के बाद का वह दिन आता हो ।

परन्तु यह आय-कर इस उप-धारा के अन्तर्गत नहीं लगाया जायेगा, यदि ऐसे अंश करदाता के व्यापार-गत माल में शामिल हों या यदि ऐसे अंश १ अप्रैल, १९६४ से पहले नियत किये गये हों ।

परन्तु इसके साथ ही धारा ४८ का कोई उपबन्ध इस उप-धारा के अन्तर्गत पूंजीगत लाभ नामक शीर्ष के अधीन भारित आय पर लागू नहीं होगा ।

व्याख्या : शंकायें दूर करने के लिये एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि इस उप-धारा के अन्तर्गत पूंजीगत लाभ नामक शीर्ष के अधीन भारित आय इस अधिनियम के प्रयोजनों से अल्पावधि पूंजीगत परिसम्पत् से भिन्न पूंजी परिसम्पत् से सम्बन्धित पूंजीगत लाभ के रूप में समझी जायेगी ।

(३) जब कोई अंश जिनके सम्बन्ध में करदाता पर उप-धारा (२) के अन्तर्गत पूंजीगत लाभ नामक शीर्ष के अधीन आय-कर लगाया जाना हो, उस द्वारा उस उप-धारा में उल्लिखित ३० दिन की अवधि की समाप्ति से पहले करदाता द्वारा हस्तान्तरित किये जाएं तो ऐसे हस्तान्तरण से उत्पन्न लाभ या मुनाफा उसकी कुल आय में शामिल नहीं किया जायेगा ।

(४) परन्तु उप-धारा (३) में अन्यथा उपबन्ध है न होने पर उप-धारा (२) के किसी उपबन्ध को वास्तव में लुप्त समझा जायेगा ।"]

(२) पृष्ठ १०, पंक्ति २९ से "actually" ("वास्तव में") शब्द निकाल दिया जाये । (२००)

श्री मी० रु० मसानी: : मैं अपना संशोधन संख्या १०६ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री व० ना० गांधी : मैं अपने संशोधन संख्या १२९, १३० और १३१ प्रस्तुत करता हूं ।

बोनस शेयरों पर कर लगाने का कोई औचित्य नहीं है । इस मामले में पूंजी लाभ ऐसा नहीं होगा कि उसे वसूल किया जा सके । आखिर कराधान के कुछ स्वीकृत सिद्धान्त हैं और अप्राप्त लाभ पर सभान्यत: कर नहीं लगता है । यह एक मूल सिद्धान्त की बात है ।

किसी कम्पनी की सम-पूंजी अंशधारियों को दिये गये शेयर और कम्पनी द्वारा देय संचित को मिला कर बनती है । यदि देय संचित राशि में से अंशधारियों को बोनस शेयरों के रूप में कोई भाग दे दिया जाता है, तो इससे उस कम्पनी की सम पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता । अत: इस नये कर का कोई आधार नहीं है ।

बोनस शेयरों पर कर लगाने के प्रश्न पर पहले बहुत विख्यात लोगों ने विचार किया है जैसे डा० जॉन मथाई की अध्यक्षता में वर्ष १९५४ में कराधान जांच समिति ने भी इस पर विचार किया और उसने इस विचार का समर्थन नहीं किया ।

हमें पता है कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय है। इस निर्णय से भी इस मामले में वित्त मंत्री द्वारा कही गई बात का पूर्ण समर्थन नहीं होता।

अतः मैं अपने संशोधनों द्वारा सुझाव देता हूं कि बोनस शेयर पर तभी कर लगाया जाये जब इनको व्यक्तियों द्वारा वास्तव में हस्तान्तरित किया जाये अर्थात् जब इनसे वास्तव में कोई लाभ हो।

श्री मी० रु० मसानी : अध्यक्ष महोदय, बोनस शेयरों पर प्रस्तावित पर कर-विधान के इतिहास में अभूतपूर्व घटना है। यह अच्छा है कि इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जायेगा।

वर्ष १९५४ में कराधान जांच समिति ने, जिसके अध्यक्ष डा० मथाई थे और इसमें श्री बैकुण्ठ लाल मेहता और डा० बी० के० आर० वी० राव जैसे विख्यात व्यक्ति थे, इस प्रस्ताव पर विचार करके इसे अस्वीकार कर दिया था। आयोग ने एकमत से यह सिफारिश की थी कि बोनस शेयरों पर कर न लगाया जाये क्योंकि बोनस शेयर लेने वाले अंशधारियों को वास्तव में कोई आस्ती नहीं मिल जाती। वास्तव में बोनस शेयर को शेयर की संज्ञा गलत दी गई है। अन्य देशों में इसको बोनस शेयर नहीं कहा जाता बल्कि अंशों का विभाजन (स्पिलिटिंग आफ शेयर्स) कहा जाता है। इसमें बोनस कुछ भी नहीं होता और इससे मनुष्य की पूंजी भी नहीं बढ़ती। होता केवल यह है कि एक शेयर की बजाय डेढ़, दो या तीन शेयर होते हैं। पता नहीं कि कराधान जांच आयोग की सिफारिशों की सरकार अवहेलना क्यों कर रही है।

वास्तव में शेयरों की संख्या अधिक होने से इसका मूल्य कम हो जाता है। तथा-कथित बोनस शेयर जारी किये जाने के बाद मंडी में दाम गिर जाते हैं।

उदाहरणतः बने एण्ड कम्पनी ने २७ नवम्बर, १९६३ को एक शेयर पर बोनस शेयर दिया—इस बोनस शेयर के दिये जाने से पहले उन के एक शेयर का मूल्य ६९८ रुपये था और आज बोनस शेयर जारी किये जाने के बाद उसका मूल्य एकदम गिर कर ३३० रुपये रह गया। दूसरे शब्दों में अंशधारी को हानि हुई। इसके एक महीने बाद इसका मूल्य और भी गिर गया और यह ३१३ रुपये ही रह गया। इस विधान कर परिणाम यह होगा कि उसको इस हानि पर कर देना पड़ेगा और इस प्रकार उसको और हानि होगी।

इण्डियन अल्युमीनियम, महाराष्ट्र शुगर, इण्डियन वेजिटेबल्स, गैस्ट, कीन एण्ड विलियन की भी यही स्थिति है। केवल न्यू इण्डिया इन्डस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा लाभ हुआ। अब कोई भी कम्पनी बोनस शेयर जारी नहीं करेगी। वास्तव में उद्योग ने यह सुविधा दी थी जो वापस ली जा रही है। यह बिना किसी पूंजी लाभ के अंशधारी पर खयाली लाभ के लिये कर लगाना। खयाली लाभ पर लोगों पर कर लगाना अनुचित है। यह अच्छा है कि इसको केवल भविष्य में लागू किया जायेगा और भूतलक्षी प्रभाव से नहीं।

श्री मुरारका : संशोधन संख्या २०० के लिये मैं वित्त मंत्री का आभारी हूं। इस से काफी आलोचना कम हो जायेगी। अब यह लोगों पर और कम्पनी वालों पर है कि ये

बोनस जारी करें या न करें क्योंकि उन्हें पता है कि यदि वे बोनस शेयर जारी करते हैं, तो उन्हें कितना कर देना पड़ेगा । इसलिये इस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये ।

यह कहना गलत है, कि बोनस शेयर पाने वाले को कोई लाभ नहीं होता । यदि उनको बोनस शेयर की बजाय लाभांश मिले तो उस पर उन्हें पूरा आय कर देना होगा जब कि उन्हें बोनस शेयरों पर आय-कर नहीं देना पड़ता । इस में एक बात और भी है और वह यदि कोई कम्पनी परिसमाप्त हो जाती है तो बोनस शेयरों को लाभांश माना जाता है और उस समय उस रकम पर आय-कर लिया जाता है । लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है कि जो कम्पनी बोनस शेयर जारी करती है, वह परिसमाप्त हो जाये। जर्मनी में भी ऐसी व्यवस्था है । वहां भी बोनस शेयरों पर कर लगता है ।

इस में दो बातें हैं —एक तो कम्पनी को कर देना पड़ता है जो बोनस शेयर जारी करती है और दूसरे उस व्यक्ति को कर देना पड़ता है जो बोनस शेयर लेता है । यह अच्छा हो यदि कर बोनस शेयर पाने वाले व्यक्ति पर ही लगाया जाये। और कम्पनी पर नहीं । यदि हम बोनस शेयर जारी किये जाने को निरुत्साहित हैं तो यही कदम उचित है ।

यह कर भूतलक्षी प्रभाव से नहीं लगाया जायेगा बल्कि भविष्य में लगाया जायेगा । जहां तक भविष्य का सम्बन्ध है, न तो यह कम्पनी के लिये आवश्यक है कि वह बोनस शेयर जारी करे और न सरकार के लिये जरूरी है कि वह बोनस शेयर जारी करने की अनुमति दे। यदि सरकार की यह नीति है कि बोनस शेयर जारी न हों, तो वह ऐसा उनकी अनुमति न देकर कर सकती थी और इस कानून की जरूरत ही न पड़ती । लेकिन वह चाहती है कि जो यह कर देना चाहते हैं और बोनस शेयर जारी करना चाहें, वे ऐसा कर सकें । इस हद तक यह उपबन्ध ठीक है ।

अंशधारी को बोनस शेयर लेते समय पूंजी लाभ कर देना पड़ता है । यदि वह एक वर्ष बाद उन बोनस शेयरों को बेच देता है और इस प्रकार उसको हानि होती है तो क्या उस हानि को उसे नियमित आय से पूरा करने दिया जायेगा अथवा उसको पूंजी हानि समझा जायेगा ? मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें।

पूंजी लाभ कर वसूल करते समय सरकार को कुछ हद तक मूल शेयरों के मूल्य में कमी को भी ध्यान में रखना चाहिये।

यदि सरकार की यह नीति है कि कम्पनियों में धन लाभ रहे वह केवल बोनस शेयरों की अनुमति दे कर ही हो सकता है । यदि वे बोनस शेयरों की भी इजाजत नहीं देंगे तो कोई निगमित क्षेत्र में धन क्यों लगायेगा ? धन लगाने वाला कुछ प्राप्ति की आशा करता है ।

श्री हिम्मत सिंहका (गोड्डा): जैसा बताया गया है बोनस शेयर जारी करने के बाद मूल्य शेयरों के मूल्य कम हो जाते हैं। उपबन्ध यह है कि इसके जारी किये जाने के इकतीसवें दिन के मूल्य पर कर लिया जायेगा। यदि मूल शेयरों के मूल्य में कमी को भी ध्यान में रखा जाये तो अच्छा होगा ।

वर्तमान व्यवस्था ठीक है कि बोनस शेयरों पर बिक्री के समय कर लिया जायेगा क्योंकि तब मूल शेयरों और बोनस शेयरों के बीच मूल्यों का समायोजन किया जायेगा।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर): मैं इस विधेयक संशोधन का विरोध करता हूं। बोनस शेयर उन लोगों के लिये एक आकर्षण है जो गैर-सरकारी क्षेत्र में धन लगाना चाहते हैं। इस संशोधन से लोगों को अंशपूंजी में धन लगाकर जो थोड़ा सा लाभ होता है, वह सरकार इनको नहीं होने देना चाहती।

बोनस शेयरों से पूंजी में कोई वृद्धि नहीं होगी बस्कि मूल शेयरों के मूल्य गिर जायेंगे और बाजार भाव पर पूंजी लाभ मान कर उस पर कर लिया जायेगा। अत: इस कराधान के फल-स्वरूप जनता की पूंजी कम ही होगी सरकार का इरादा यह लगता है, कि "जो कुछ मेरा है, वह तो मेरा है ही और जो आपका है उस में मुझे भी हिस्सा दो।" सरकार के लिये ऐसी बात शोभा नहीं देती।

इसका कई बड़े लोगों पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन छोटे लोगों पर ही असर पड़ेगा, और कर के मामले में भी इस में कठिनाइयां पैदा होंगी।

इन परिस्थितियों में यही अच्छा होगा कि यह विधान न बनाया जाये।

श्री प्रभातकार: इस बारे में वित्त मंत्री ठीक ही व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि बोनस शेयर जारी होने पर अंशधारियों को हानि होती है और जब कम्पनियां बोनस शेयर जारी ही नहीं करेंगी तो कम से कम अंशधारियों को तो हानि नहीं होगी। अब जो भी कम्पनी बोनस शेयर जारी करेगी वह काफी सोच समझकर ही ऐसा कदम उठायेगी और इसलिये यह निर्णय करना कम्पनी पर होगा कि वह बोनस शेयर जारी करे या न करे। अत: पहले से जाने बिना किसी को अनावश्यक रूप से कोई कर नहीं देना पड़ेगा। यदि लाभांश बढ़ा दिया जाये तो भी उनको कर देना पड़ेगा। इसके बजाय वे बोनस शेयर जारी करते हैं। अत: इस में सरकार कोई गलत नहीं कर रही है।

मैं समझता हूं कि संशोधन संख्या २०० को स्वीकार किया जाये क्योंकि इस से स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी: मैंने आंख मूंद कर और तथ्यों को जाने बगैर यह प्रस्ताव नहीं रखे हैं।

संयुक्त स्कन्ध समवायों और आयकर अधिकारियों के बीच एक खींचा-तानी सी है। पूंजी लाभ कर से पूर्व अनेक गैर-सरकारी सीमित कम्पनियां परि समाप्त होती थीं और आस्तियां अंशधारियों में बांट दी जाती थीं। और फिर नये सिरे से कम्पनियां बन जाती थीं। रुपया संचित निधि में डाल दिया जाता था और फिर कम्पनी परिसमाप्त हो जाती थी।

अत: यदि धन संचित निधि में न डाला जाये और लाभांश के रूप में दिया जाये तो फिर लाभांश पर कर लगेगा। धनी व्यक्ति से अधिक कर मिलेगा।

इसका छोटे व्यक्तियों पर असर पड़ेगा नहीं क्योंकि उसको कोई पूंजी लाभ होता है और उसकी आय १०,००० रुपये नहीं है तो उस पर असर नहीं पड़ेगा ।

ऐसा नहीं है कि भविष्य में बोनस शेयर जारी नहीं किये जायेंगे । बोनस शेयर तो जारी होंगे लेकिन इस में आकर्षण आदि नहीं होगा और हानि भी अधिक नहीं होगी ।

यह कहना ठीक नहीं है कि इस से कोई बड़ी हानि होगी क्योंकि जिस समय यह घोषणा की जाती है कि बोनस शेयर जारी किये जायेंगे, शेयरों के मूल्य बढ़ जाते हैं। बोनस शेयर जारी होने के बाद शेयरों के मूल्य गिर जाते हैं। अतः स्थिति बराबर हो जाती है । व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि लोगों पर बहुत थोड़ा भार पड़े।

भारत में अनेक कम्पनियां ऐसी हैं जो बड़ी होशियार हैं और अपनी चालाकी से नाम बदल बदल कर काम करती हैं और करों की चोरी करती हैं। उनको पकड़ कर आय कर प्राधिकारियों के लिये भी आसान नहीं है । यदि उनको पकड़ा जा सके तो सरकार को ५० करोड़ रुपये की और आय हो सकती है ।

शेयर प्रीमियम खाते पर जारी सभी बोनस को हम ने छूट दे दी है । भविष्य में शेयर प्रीमियम खाते पर कम्पनी द्वारा जारी किये गये बोनस पर कोई कर नहीं लगेगा । कर केवल नियमित रूप से जारी किये गये बोनस पर, जो कि पूंजी लाभ है, लगेगा ।

संशोधन संख्या २०० द्वारा प्रस्तावित नयी योजना से मध्यम तथा निम्न वर्ग आय के पूंजी लाभ पर कर पहले से कम लगेगा । पूंजी लाभ को आय में शामिल करने और फिर दर निकाल कर पूंजी लाभ पर कर लगाने की व्यवस्था हटा दी गयी है । दीर्घकालीन पूंजी लाभ को शामिल नहीं किया जायेगा और हम आय पर कर की प्रतिशतता लेंगे और फिर यह पूंजी लाभ पर लगाया जायेगा जो कम से कम १५ प्रतिशत और ५००० रूपये पर होगा। इस संशोधन से लोगों को लाभ ही होगा । थोड़ी आय वालों को कुछ नहीं देना होगा । मध्यम आय वालों को १५ प्रतिशत से अधिक नहीं देना पड़ेगा ।

इस विधेयक के लागू किये जाने के बाद भी बोनस शेयरों के लिये आवेदन पत्र मिले हैं। यदि चाहें तो जारी कर सकते हैं। हम मनेजिंग एजेन्स कम्पनियों के बोनस शेयरों की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि इस में करापवंचन स्पष्ट है । यह छोटी सी फर्म होती है जिसमें कुछ ही लोग रहते हैं।

इस वर्तमान विधान से किसी कम्पनी के परिसमाप्त हो जाने पर धन पाने वाले को समूची रकम पर कर देना होता है चाहे वह पूंजी ही हो । निस्संदेह एक औसत आय वाले व्यक्ति को इससे काफी क्षति होगी । लेकिन इस समय मैं इसमें संशोधन नहीं कर सकता । इसके लिए पृथक से नई धारा जोड़नी पड़ेगी । जहां सरकारी नीति के कारण कोई कम्पनी परिसमाप्त होती है तो विनियोजक को किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिये।

मैं कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

(१) पृष्ठ १०, पंक्ति १४ से २५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये--

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (i), every equity shareholder to whom any shares are allotted by the company by way of bonus shall, unless such shares are issued wholly out of the share premium account, be chargeable to income-tax under the head "Capital gains" in respect of such shares on an amount equal to the fair market value of such shares on the date next following the expiry of the period of thirty days from the date of such allotment and such amount shall be deemed to be the income of the previous year in which the date next following the aforesaid period of thirty days falls :

Provided that income tax shall not be chargeable under this sub-section if such shares are included in the stock-in-trade of the assessee or if such shares were allotted before the 1st day of April, 1964 :

Provided further that nothing contained in section 48 shall apply to the income chargeable under the head "Capital gains" under this sub-section.

Explanation.—For the removal of doubts, it is hereby declared that income chargeable under the head "Capital gains" under this sub-section shall, for the purposes of this Act, be treated as capital gains relating to capital assets other than short-term capital assets.

(3) Where any shares in respect of which an assessee is chargeable to income tax under the head "Capital gains" under sub-section (2) are transferred by him before the expiry of the period of thirty days referred to in that sub-section, any profits or gains arising from such transfer shall not be included in his total income.

(4) Save as otherwise provided in sub-section (3), nothing contained in sub-section (2) shall be deemed to"

["(२) उपधारा (१) में कोई अन्य उपबंध होने पर भी हर सामान्य अंशधारी को, जिसे बोनस के रूप में कम्पनी ने कोई अंश दिये हों, जब तक ऐसे सारे अंश शेयर प्रीमीयम खाते में से जारी न किये गये हों, पूंजीगत लाभ नामक शीर्षक के अन्तर्गत अंश नियत करने की तिथि से ३० दिन की अवधि की समाप्ति पर अगले दिन ऐसे अंशों के उचित बाजार मूल्य के बराबर रकम पर अंशों के सम्बंध में आय कर देना होगा और ऐसी रकम उस पहले वर्ष की आय समझी जायेगी जिसमें ३० दिन की उक्त अवधि के बाद का वह दिन आता हो ।

परन्तु यह आयकर इस उप-धारा के अन्तर्गत नहीं लगाया जायेगा, यदि ऐसे अंश करदाता के व्यापार-गत माल में शामिल हो या यदि ऐसे अंश १ अप्रैल, १९६४ से पहले नियत किये गये हों ।

परन्तु इसके साथ ही धारा ४८ का कोई उपबंध इस उपधारा के अन्तर्गत पूंजीगत लाभ नामक शीर्ष के अधीन भारित आय पर लागू नहीं होगा ।

व्याख्या : शंकाएं दूर करने के लिये एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि इस उपधारा के अन्तर्गत पूंजीगत लाभ नामक शीर्षक के अधीन भारित आय इस अधिनियम के प्रयोजनों से अल्पावधि पूंजीगत परिसम्पत से भिन्न पूंजीगत परिसम्पत से सम्बंधित पूंजीगत लाभ के रूप में समझी जायेगी ।

(३) जब कोई अंश जिनके सम्बंध में करदाता पर उपधारा २ के अन्तर्गत पूंजीगत लाभ नामक शीर्षक के अधीन आय-कर लगाया जाना हो, उस द्वारा उस उपधारा में उल्लिखित ३० दिन की अवधि की समाप्ति से पहल करदाता द्वारा हस्तान्तरित किये जाएं तो एसे हस्तान्तरण से उत्पन्न लाभ या मुनाफ़ा उसकी कुल आय में शामिल नहीं किया जायेगा ।

(४) परन्तु उपधारा (३) में अन्यथा उपबंध न होने पर उपधारा (२) के किसी उपबंध को वास्तव में लुप्त समझा जायेगा ।

(२) पृष्ठ १०, पंक्ति २९ से "ɛctually" ["वास्तव में"] का लोप किया जाये । (२००)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संशोधन संख्या १०६ और १२९ से १३१, सभा की अनुमति, से वापिस लिये गये ।

Amendments No. 106 and 129 to 131 were, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खंड १२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड १२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 12, as amended, was added to the Bill.

श्री मी० र० मसानी : मैं संशोधन संख्या १०७ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

खण्ड १४ में यह स्पष्ट नहीं है कि पूंजी के पुनर्गठन पर केवल हस्तान्तरण से पूंजी लाभ कर का उत्तरदायित्व बन जाता हैं ।

श्री हिम्मतसिंहका : मैं संशोधन संख्या १३२ प्रस्तुत करता हूं । आय की अधिनियम की धारा ४९ के अन्तर्गत ५० वर्ष पहले प्राप्त की गयी आस्तियों को यदि अब वसीयत द्वारा या उपहार द्वारा हस्तान्तरित किया जाता है तो उस पर वर्तमान मूल्य के अनुसार उपहार कर अथवा सम्पदा शुल्क देना होगा । अत: मैं यह महसूस करता हूं कि काफी समय बाद जो व्यक्ति उपहार अथवा वसीयत द्वारा आस्तियां प्राप्त करता है और जिस पर वर्तमान मूल्य के अनुसार कर लगाया जा रहा है वह रकम होनी वह चाहिये जिस पर सरकार को सम्पदा शुल्क अथवा उपहार कर दिया गया है । वित्त मंत्री को मेरा संशोधन स्वीकार करना चाहिये ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हम किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसका क्या असर होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०७ और १३२ मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 107 and 132 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : खंड १३ पर कोई संशोधन नहीं है ।

श्री मो० रु० मसानी : इस खंड का उद्देश्य यह है कि जब किसी परिसम्पत्ति का हस्तान्तरण हो तो उसके हस्तान्तरण का मूल्य बाजार मूल्य से १५ प्रतिशत कम होने पर कर अधिकारी उस पर बाजार मूल्य के आधार पर कर लगा सकेंगे ।

इस पर बहुत सी आपत्तियां हैं जैसे एक यह है कि कुछ साझीदारी की फर्मों की सद्भावना का मूल्य आज से ४०, ५० वर्ष पहले निर्धारित की गई थी । अब किसी साझीदार की मृत्यु या अन्य कारण से परिसम्पति का हस्तान्तरण करने पर पूर्व करार के अनुसार मूल्य चुकाना होगा । यह उनका निजी काम है और कर अधिकारी को उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

इसी प्रकार हकसफा और अन्य प्रकार के अधिकारों से किसी के पास परिसम्पत्ति हो तो उसके हस्तातंरण से बहुत पहले उसके मूल्य के बारे में करार किया होता है । उस पर भी बाजार मूल्य के आधार पर कर नहीं लगना चाहिये ।

हस्तातंरण दो प्रकार के होते हैं । एक सामान्य और दूसरे ऐसे जिन में कर अपवंचन का प्रयत्न किया जाता है । दूसरे प्रकार के हस्तांतरण के लिए तो उपचार होना चाहिये परन्तु इस खण्ड का प्रभाव सामान्य विनिमय पर पड़ेगा ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र ने अतिवादी मामले को दिया है । इस संशोधन का संबंध नित्य प्रति के विनिमय से है जिसमें लोग वास्तविक मूल्य से कम राशि दिखाते हैं । उदाहरण के लिए मकान या जमीन को रजिस्ट्री के शुल्क से बचने के लिए उसका मूल्य कम दिखाया जाता है और सरकार पता नहीं लगा सकती कि क्या मूल्य चुकाया गया है । अतः प्रयोजन यह है कि रजिस्ट्री शुल्क से बचने वाले व्यक्ति से यह कर बाजार भाव के आधार पर वसूल किया जा सके । इस का प्रभाव साझीदारी की फर्मों आदि पर नहीं पड़ेगा । अतः मैं श्री मसानी की बात नहीं समझ सका ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 13 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड १४ पर एक सरकारी संशोधन है ।

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ठ ११, पंक्ति ७ से १३ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए ।

(iv) Where the capital asset, being a share of a company, was allotted to the assessee by way of bonus and the assessee is chargeable to income-tax

under the head "Capital gains" in respect of such share under sub-section (2) of section 45 and such asset is transferred after the expiry of thirty days referred to in that sub-section, means the fair market value of the asset on that date next following the expiry of the said thirty days.'

[(४) जहां पूंजीगत परिसम्पत्ति किसी समवाय का अंश हो और करदाता को बोनस के रूप में दी गई हो और करदाता पर धारा ४५ की उपधारा (२) के अन्तर्गत ऐसे अंश के सम्बंध में "पूंजीगत लाभ" के अन्तर्गत आय कर लगता हो और ऐसी परिसम्पत्ति उक्त उपधारा में उल्लिखित ३० दिन की अवधि के बाद उस परिसम्पत्ति का हस्तांतरण कर दिया जाए तो उक्त ३० दिन की अवधि के बाद की तिथि को उस परिसम्पत्ति के बाजार मूल्य को दिया जायेगा। (३७)]

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १४ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड १४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 14, as amended was added to the Bill.

खण्ड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 15 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब खण्ड १६ को लेंगे।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : मैं अपना संशोधन संख्या १०८ प्रस्तुत करता हूं।

मेरा संशोधन साधारण है। व्यापारी लोग अपनी तजोरियों में अपने परिवार के जेवर रखते हैं जिनका उल्लेख वे पुस्तकों में नहीं करते। उसका लेखा जोखा वे नहीं दे सकते। इस संशोधन को स्वीकार न किया गया तो व्यापारियों को अनावश्यक रूप से डराया धमकाया जाएगा। अतः माननीय मंत्री से निवेदन है कि वे मेरा संशोधन स्वीकार कर लें।

श्री बड़े : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं क्योंकि इस धारा के अन्तर्गत आयकर आधिकारी को एसे अधिकार दिये जा रहे हैं जिनसे वह लोगों को डरा धमका सकता है। जब लेखा पुस्तकों में आभूषणों का उल्लेख नहीं होगा जैसा कि प्रायः होता है वो अधिकारी जेवरों का कैसे पता लगायेगा और फिर किसी व्यक्ति को यह स्पष्टीकरण देने पर कि आभूषण उसकी पत्नी या अन्य किसी रिश्तेदार के हैं अधिकारी को उसे संतोषजनक या असंतोषजनक मानने का अधिकार है। माननीय मंत्री से निवेदन है कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : वित्त विधेयक में पता नहीं कैसे ऐसा उपबंध रख दिया गया है क्योंकि यह वास्तविक निधि का अंग है। मैं भले ही लेखा जोखा रखता हूं, किन्तु मैंने कभी भी पत्नी और बच्चों के जेवरों को पुस्तकों में नहीं लिखा। यदि आयकर अधिकारी २० या ३० वर्ष बाद मेरी सम्पत्ति का कर निर्धारण करें तो मैं क्या स्पष्टीकरण दूंगा। जेवर केवल व्यापारियों के पास तो नहीं होते। विधेयक में कहा गया है कि यदि कोई स्पष्टीकरण न दे सके तो वे जेवर आदि उस

[श्री उ० मू० त्रिवदी]

की उस वर्ष की आय समझी जायेगी। फिर यह भी संभव है कि जो स्पष्टीकरण दिया जाए उसे आय-कर अधिकारी संतोषजनक न समझें। मैं तो इस उपबंध को समझ नहीं सका।

[डा० सरोजिनी महीषी पीठासीन हुईं]।

[DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*.]

इससे केवल गड़बड़ ही नहीं पैदा होगी बल्कि अधिकारी लोगों को डरा धमका कर पैसा ऐंठ सकते हैं। कहीं से भी पता लगने पर कि अमुक व्यक्ति के पास आभूषण हैं अधिकारी उसे त्रस्त और आतंकित करने लगेंगे। अतः यह उपयुक्त होगा कि खंड १६ को विधेयक से निकाल दिया जाए।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : इस उपबंध के लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं क्योंकि इससे काले बाजार के कुछ धन पर तो कर लगाया जा सकेगा। लोगों को कुछ असुविधा तो होगी किन्तु वह आवश्यक है। इस उपबंध को अधिक सख्ती से लागू करना चाहिये।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : श्री त्रिवेदी को समस्या इस ढंग से प्रस्तुत करने का ढंग आता है जैसे कोई भूत उपस्थित हो रहा हो। इस उपबंध का सम्बंध इस बात से है कि जो आय कर से बच जाती है उस पर कर वसूल किया जा सके। स्वभावतः यह वित्त विधेयक का ही अंग हो सकता है और यदि इस प्रकार का प्रयत्न न किया जाए तो वित्त मंत्री का ही कोई प्रयोजन नहीं रह जाता।

यह कर मध्यम वर्ग के लिए नहीं है बल्कि जो लोग सम्पत्ति कर से बच निकलते हैं उन्हें पकड़ा जायेगा। २५००० रुपये तक के जेवर तो कर से मुक्त ही हैं उससे अधिक होने पर ही कर निर्धारण क प्रश्न पैदा होगा।

विरासत में मिलने वाली सम्पत्ति के लिए सम्पत्ति कर निधि है। लोग आभूषण और सोने के बर्तन बना लेते हैं और कह देते है कि यह उन्हें विरासत में मिला था। इस विधेयक से मध्यम वर्ग को नुक्सान नहीं पहुंचाया जायेगा।

श्री काशी राम गुप्त : तो आप यह क्यों नहीं कह देते कि यह उपबंध सम्पत्ति कर देने वालों के सम्बन्ध में है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं वचन देता हूं कि आयकर विभाग मध्य वर्ग को तंग नहीं करेगा। जो लोग कर नहीं देते उन्हें पूर्व सूचना दे कर ही करदाताओं की सूचि में लाया जायेगा। कुछ एक बड़े लोगों को ही असुविधा होगी और उन्हें दबा हुआ धन निकालना पड़ेगा। अधिकारियों को इस प्रकार के आदेश दिये जा चुके हैं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य संशोधन के लिए आग्रह कर रहे हैं?

श्री काशी राम गुप्त : जी हां।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०८ मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 108 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 16 was added to the Bill.

खंड १७ से १९ विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 17 to 19 were added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २० विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड २० विधेयक में जोड़ दिए गए

Clause 20 was added to the Bill.

खण्ड २१ और २२ विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 21 to 22 were added to the Bill.

सभापति महोदय : खण्ड २३ पर कुछ सरकारी संशोधन हैं ।

संशोधन किए गए ।

(१) पृष्ठ १४ पंक्ति ६ में (a)" [क] का लोप किया जाए । (३८)

(२) पृष्ठ १४ में पंक्ति १० से १४ का लोप किया जाए । (३९)

(३) पृष्ठ १४ पंक्ति १५ में "Following sub-section"[निम्नलिखित उपधारा] के स्थान पर "Following such-sections" [निम्नलिखित उपधाराएं] शब्द रखे जाएं (४०)

(४) पृष्ठ १४ में पंक्तिं १२ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :—

"The operation of this section.

(4) Without prejudice to the provisions of section 108 nothing contained in this section shall apply to —

(a) an Indian company whose business consists wholly or mainly in the manufacture or processing of goods or in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form of power ;

(b) an Indian company, the value of whose capital assets being machinery or plant (other than office appliances or road transport vehicles), as shown in its books on the last date of the relevant previous year is fifty lakhs of rupees or more.

Explanation.—For the purposes of clause (a) of this sub-section, the business of a company shall be deemed to consist mainly in the manufacture or processing of goods or in mining or in the generation or distribution of electricity or any

other form of power, if the income attributable to any of the aforesaid activities included in its total income for the relevant previous year is not less than fifty one per cent. of such total income."

["इस धारा का प्रवर्तन

(४) धारा १०८ के उपबंधों के विरोध के बिना इस धारा का कोई उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा :—

(क) कोई भारतीय कम्पनी जिसके व्यापार में पूरे तौर पर या मुख्यत: वस्तुयों का निर्माण या तैयारी या खनन अथवा बिजली या किसी अन्य प्रकार की राशि का पैदा करना या वितरण शामिल हो ;

(ख) कोई भारतीय कम्पनी जिसकी पूंजीगत परिसम्पत्तियों जैसे मशीनें या कारखाना (दफ्तर की वस्तुओं या सड़क परिवहन की मोटर गाड़ियों के अलावा) जो सम्बंधित वर्ष की अन्तिम तिथि को उसकी लेखा पुस्तकों में ५ लाख रुपये या अधिक की—

व्याख्या —इस उपधारा के खंड (क) के प्रयोजन के लिए कम्पनी के व्यापार में मुख्यत: वस्तुओं का निर्माण या तैयारी, या खनन, या बिजली अथवा किसी प्रकाश की शक्ति का पैदा करना और वितरण शामिल माना जाएगा यदि इनमें से किसी कार्य से होने वाली आय जो सम्बंधित पूर्व वर्ष की कुल आय में शामिल हो कुल आय के ५१ प्रतिशत से कम नहो।" (४१)

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड २३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड २३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 23 as amended was added to the bill.

खण्ड २४ से २७ विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 24 to 27 were added to the Bill.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) ।

(MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*)

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड २८ पर कुछ संशोधन हैं ।

संशोधन किए गए —

Amendments made

(१) पृष्ठ १७ में पंक्ति ५ से २६ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :—

Page 17, *for* lines 5 to 26, substitute.

"Provided that where the amount payable under sub-clause (ii) of clause (b) is less than the amount equal to fifteen per cent of the net capital gains in respect of which tax is payable thereunder shall be fifteen per cent. of such net capital gains ;

Provided further that where the total income does not exceed the sum of ten thousand rupees, the amount payable under the said sub-clause shall be nil,".

[परन्तु जहां खण्ड (ख) के उपखण्ड (२) के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि, शुद्ध पूंजीगत लाभ के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर हो तो उसके अन्तर्गत पूंजीगत लाभ का कर उसका पन्द्रह प्रतिशत है ।

परन्तु इसके साथ ही जहां कुल आय दस हजार रुपये से अधिक न हो तो उक्त उप खण्ड के अन्तर्गत देय राशि शून्य होगी ।" (४४)

(२) पृष्ठ १६ में पंक्ति ३० से ४२ तक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :—

Page 16, *for* lines 30 to 42, *substitute*—

"(ii) the amount of income-tax and super-tax calculated on such part of the net capital gains, if any, relating to capital assets other than short term capital assets, as exceeds the sum of five thousand rupees—

(1) in the case of capital gains relating to buildings or lands, or any rights in buildings or lands, at three fourths of the average rate of super tax respectively, and

(2) in any other case, at one half of the average rate of income tax and one half of the average rate of super tax respectively,

averagte rate of income tax and average rate of super tax being computed for the purpose of this sub-clause in the same manner as for the purpose of sub-clause (i) of this clause."

[(दो) अल्पविधि पूंजीगत परिसम्पत्तियों से भिन्न यदि कोई पूंजीगत परिसम्पत्तियां हों तो उन से सम्बंधित शुद्ध आय के ऐसे भाग पर जो ५००० रुपये से अधिक हो, गणना किये आय कर और अधिकर की राशि।

(१) भवनों या भूमि से सम्बंधित या भवनों अथवा भूमि के किन्हीं अधिकारों से सम्बंधित पूंजीगत लाभ के मामले में क्रमश: अधिकर की औसत दर का तीन चौथाई ।

(२) किसी अन्य मामले में क्रमश: आय कर की औसत दर का आधा और अधिकर की औसत दर का आधा ।

इस उदाहरण के प्रयोजन के लिए आय कर की औसत और अधिकर की औसत दर की गणना की जाती है जैसे इस उपखण्ड के उपखण्ड (१) के प्रयोजन के लिए की जाती है । (२०१)

(३) पृष्ठ १७ में पंक्ति १ से ४ तक का लोप किया जाए ।

Page 17, *omit* lines 1 to 4

[If the above two amendments are accepted, then Amendments No. 42 and 43 will not be moved.]

["यदि उपरोक्त दो संशोधन स्वीकृत हो जाएं, तो संशोधन संख्या ४२ और ४३ नहीं पेश किये जाएंगे ।" [२०२]

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]।

श्री मी० रु० मसानी : मैं अपना संशोधन संख्या ११० प्रस्तुत करते हुए निवेदन करता हूं कि इसका प्रयोजन केवल यह है कि इस खण्ड का भूत लक्षी प्रभाव न हो । इस प्रकार के परिवर्तन को भूतलक्षी प्रभाव देना अनुचित है ।

श्री न० रं० घोष : मैं अपना संशोधन संख्या ३६ प्रस्तुत करता हूं । इसके अनुसार ५००० रुपये की अपेक्षा २५००० रुपये की पूंजीगत परिसम्पत्तियां विमुक्त होनी चाहिये । १ लाख रुपये का रिहायशी मकान और एक एकड़ या विहित सीमा तक भूमि भी विमुक्त होनी चाहिये । कभी कभी ऋण के कारण किसी को मकान बेचना पड़ता है तो उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । अतः माननीय मंत्री को मध्य वर्ग के प्रति सहानुभूति दर्शानी चाहिये ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक श्री मसानी के तथ्य का सम्बंध है पूंजीगत लाभ संविधि पुस्तक में होता है और बोनस इशू संविधि पुस्तक में नहीं होता । इस कर को पूंजीगत लाभ पर लागू किया गया है जहां भूतलक्षी प्रभाव का प्रश्न उत्पन्न नहीं । मैं विमुक्ति की सीमा ५००० से बढ़ाकर २५००० रुपये नहीं करना चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११० मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 110 was put and negatived.

श्री न० रं० घोष : मैं अपना संशोधन संख्या १३६ वापस लेता हूं ।

संशोधन संख्या १३६, सभा की अनुमति से , वापस लिया गया ।

Amendment No. 136 was by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड २९ पर सरकार के कुछ संशोधन हैं ।

संशोधन किया गया

Amendment made

(१) पृष्ठ १७ में पंक्ति २८, २९ और ३० के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए ।

"In Section 115 of the Income-tax Act,——

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) the amount of income-tax equal to the aggregate of——

(1) the amount of income-tax calculated at the rate of twelve and a half per cent. on the amount of capital gains, if any, chargeable under sub-section (2) of section 45; and

(2) the amount of income-tax with which it would have been chargeable had its total income been reduced by the amount of capital gains referred to in sub-clause (1);"

(ii) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :

'(b) the amount of super-tax equal to the aggregate of——".

आयकर अधिनियम की धारा ११५ में (एक) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय, अर्थात

(क) निम्नलिखित की कुल राशि के बराबर आयकर की राशि :—

(१) धारा ४५ की उपधारा (२) के अन्तर्गत यदि कोई कर देय पूंजीगत आय हो तो उस पर यह १२½ प्रतिशत दर से गणना किये गये आयकर की राशि

(२) आयकर की ऐसी राशि जिसके साथ उपखण्ड (१) में उल्लिखित पूंजीगत लाभ की राशि कुल आय में से घटा कर, देय होगी ।

(दो) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्

(ख) कुल राशि के बराबर अधिकर की राशि ।] (४५)

(२) पृष्ठ १७ में पंक्ति ३८ से ४१ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

Page 17, *for* lines 38 to 41, *substitute*.

"such capital gains, if any, [excluding capital gains, if any, referred to in sub-clause (1) of clause (a)]

(2) the amount of super-tax with which it would have been chargeable had its total income been reduced by the amount of capital gains relating to capital assets other than short-term capital assets included in its total income."

[ऐसे पूंजीगत लाभ यदि कोई हो खण्ड (क) के उपखण्ड (१) में उल्लिखित यदि कोई पूंजीगत लाभ हो तो उसे निकाल कर] और

(२) अधिकर की ऐसी राशि जिसके साथ वह कर देय होता यदि उसकी कुल आय में से उसमें शामिल अल्पाविधि पूंजीगत परिसम्पत्तियों से भिन्न पूंजीगत परिसम्पत्तियों से सम्बंधित पूंजीगत लाभ की राशि घटा दी जाए ।"] (४६)

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adpoted.

खण्ड २९, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 29 as amended was added to the Bill.

खण्ड ३० [धारा १३२ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना]।

(श्री ति० त० कृष्णमाचारी): मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ १८, पंक्ति ३६ में "proceeding under" [के अन्तर्गत कार्यवाही] के पश्चात Indian Income Tax Act, 1922, or (भारतीय आयकर अधिनियम, १६२२ अथवा रखा जाए । (४७)

(२) पृष्ठ १६ पंक्ति १० में "Proceeding under" [के अन्तर्गत कार्यवाही] के पश्चात Indian ncome Tax Act, 1922, or" [भारतीय आयकर, १६२२ अथवा रखा जाए] (४८)

(३) पृष्ठ १६ पंक्ति २ "account" (अथवा) "other" अन्य रखा जाए ।

(४) पृष्ठ १६ पंक्ति ३१ में 'Central Board of Direct Taxes" केन्द्रीय प्रत्यक्ष के स्थान पर Board [बोर्ड] रखा जाए ।(५०)

श्री ऊ० मू० त्रिवेदी : मैं संशोधन संख्या ४, ६ और ७ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मी० रू० मसानी : मैं इस खंड का विरोध करता हूं क्योंकि इस के द्वारा अधिकारियों को तलाशी और कब्जे के बहुत विस्तृत अधिकार दे दिये गये हैं इस के साथ ही आयुक्त की अनुमति से लेखा पुस्तकें रखने के अधिकार भी हमें स्वीकार नहीं हैं । अब अधिकारियों को इस प्रकार के अधिकार दे दिये जाते हैं तो या तो उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता या पैसा ऐंठने के लिए डराने धमकाने के काम लाय जाता है । इससे भ्रष्टाचार फलने का डर है क्योंकि इन अधिकारों पर न्यायिक नियंत्रण नहीं हैं ।

श्री ऊ० मू० त्रिवेदी : इस उपबंध से प्रतीत होता है कि आय कर विभाग को पुलिस अधिकार दिये जा रहे हैं । ये अधिकारी बड़े अत्याचार पूर्ण ढंग इस्तेमाल करते हैं और पैसा कमाना ही उनका उद्देश्य होता है । १६५८ में कलक्ता के बड़े व्यापारी की तलाशी में १ करोड़ रुपये के जेवर पाये गये और अगले दिन यह घोषित कर दिया गया कि वे जेवर विदेश से नहीं लाये गये थे । न जाने २४ घंटे के भीतर अधिकारियों को कितना रुपया भेंट हो गया था । दूसरी बात यह है कि यह उपबंध करने की बजाय कि "यदि आयुक्त उपलब्ध जानकारी के आधार पर समझे" यह उपबंध होना चाहिये कि यदि आयुक्त निश्चित जानकारी के आधार पर लिखित कारणों से समझें ।" इस प्रकार आयुक्त को केवल कुछ सुनने पर ही आदेश पारित नहीं करने चाहिये बल्कि उस पर भी कुछ बंधन होना चाहिये और दूसरे पक्ष को अवसर मिलना चाहिए कि वह पता लगा सके कि जानकारी ठीक है या नहीं।

तलाशी के नियम बनाने का अधिकार केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड को नहीं देने चाहिये बल्कि खण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम जो अनुभव द्वारा प्रमाणित हैं लागू होने चाहिये ।

यह उपबंध भी नित्य प्रति के कार्य में बाधा उपस्थित करता है कि लेखा पुस्तकें ६ मास के लिए रखी जा सकती हैं । यह अवधि १५ या २० दिन अथवा १ या दो महीने रखनी चाहिये ।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती : मैं इस उपबंध का समर्थन करती हूं किन्तु ६ मास का समय घटा कर २ या अधिकाधिक ३ मास कर देना चाहिए । आजकल की कर अपवंचन की प्रवृति को देख कर आय-कर अधिकारियों को लेखों की जांच पड़ताल का अधिकार देना ही चाहिये । किन्तु केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को प्रार्थनापत्र देने की अनुमति देनी चाहिये । इससे लेखा पुस्तकें रखने में विलम्ब की कठोरता कम हो जायगी ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : जो लोग इस उपबंध का विरोध करते हैं वे वास्तव में कर अपवंचन में प्रवीण प्रतीत है। वही व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दुहाई देते हैं। कहा जाता है कि अमरीका में आयकर अधिकारी आतंक के प्रतीत है। तब तो भारत के समाजवादी देश में इन अधिकारियों को और भी अधिक आतंकपूर्ण होना चाहिये। इसलिए मैं इस उपबंध का समर्थन करता हूं।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस उपबंध द्वारा आयकर अधिनियम की धारा १३२ को सशोधित किया जा रहा है। बिक्री कर संशोधित किया जा रहा है। बिक्री कर के अधीन भी विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं और लेखा पुस्तकें प्राप्त करने के लिये इन अधिकारों की आवश्यकता थी।

जनवरी १९५६ में आयकर अधिकारियों ने सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा तलाशी के दौरान ऐसी पुस्तकें प्राप्त की जिन पर सम्बंधित व्यक्ति १ करोड़ रुपया कर के रूप में देने के लिए तैयार था किन्तु आयकर अधिकारियों के यह कहने पर कि उसे तीन करोड़ रुपया देना चाहिये मामला न्यायालय में चला गया जहां इस आधार पर कि आयकर अधिकारियों को तलाशीकर अधिकार नही था भारत अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है।

उसके पश्चात वह न्यायालय में मामला ले गये। न्यायालय द्वारा किताबें जब्त कर लेने का आदेश दिया। यह मामला अभी उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। इस एक मामले में सरकार को एवं जनता को ३ करोड़ रुपये का लाभ हो सकता था। यह राशि इस लिये प्राप्त नहीं हो सकी चूंकि आय-कर पदाधिकारियों के पास पर्याप्त शक्तियां नहीं थीं। कई अन्य मामलों में भी न्यायालयों ने कहा है कि इन पदाधिकारियों के पास शक्तियां नही हैं। वास्तव में हम वर्तमान विधान के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों में वृद्धि नहीं कर रहे हैं वरन इन में रूपभेद ही कर रहे हैं। व्यापारियों के खातों को प्रत्येक मामले में ६ मास तक रखना अनुचित होगा। हम हिदायतें देंगे कि कुछ एक गम्भीर मामलों को छोड़ कर अन्य मामलों में खाते यथासंभव शीघ्र लौटा दिये जायें। परन्तु कुछ विशेष मामलों में खाते शीघ्र नहीं लौटाये जा सकते। कर अपवंचन को रोकने के लिये पदाधिकारियों के लिये शक्तियां प्राप्त करने हितकर होगा। इसलिये मैं प्रस्तुत संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या ४७, ४८, ४९ तथा ५० मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

(१) कि पृष्ठ १८, पंक्ति ३९ में 'proceeding under' (के अन्तर्गत कार्यवाही) के पश्चात 'the Indian Incom-tax Act, 1922, or' (भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ अथवा) रखा जाये। (४७)

(२) कि पृष्ठ १९, पंक्ति १० में 'proceeding under' [के अतर्गत कार्यवाही] के पश्चात 'the Indian Incom-tax Act 1922, or' ["भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२, अथवा] रखा जाये। (४८)

(३) कि पृष्ठ १९, पंक्ति २४ में 'account or' ['लेखा अथवा'] के पश्चात् 'other' ["अन्य"] रखा जाये। (४९)

(४) कि पृष्ठ १६, पंक्ति ३१ में 'Central Board of Direct taxes' ["केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड"] के स्थान पर 'Board' ["बोर्ड"] रखा जाये। (५०)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४, ६ और ७ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Amendments Nos. 4, 6 and 7 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड ३०, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 30, as amended, was added to the Bill.

खंड ३१—(नई धारा १३३ क का समावेश)

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ २०, पंक्ति २० में 'such' ['ऐसे'] के स्थान पर 'the' ['दी'] शब्द रख दिया जाय। (५१)

उपाध्यक्ष महोदय : यह संशोधन अब सभा के समक्ष है।

श्री मो० रू० मलानी : मैं इस खंड का विरोध करता हूं। इस से आय-कर पदाधिकारियों की तलाशी लेने और जब्त करने सम्बन्धी शक्तियां बढ़ जायेंगी। इस के परिणामस्वरूप कोई भी आय-कर पदाधिकारी बिना सूचना के किसी स्थान पर जा सकेगा। इतनी निर्बाध शक्तियां देना सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण है। इस से भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। पदाधिकारियों को बिना वारंट या बिना न्यायालय के आदेश के किसी के घर अथवा कार्यालय में घुसने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह आपत्ति कोई नई नहीं है इसलिये मैं इस का उत्तर देने की जरूरत नहीं समझता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकारी संशोधन संख्या ५१ मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ २०, पंक्ति २० में 'such' ["ऐसे"] के थान पर 'the' ['दी'] शब्द रख दिया जाय। (५१)।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड ३१, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 31, as amended, was added to the Bill.

खंड ३२, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 32 was odded to the Bill.

खंड ३३

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं सरकारी संशोधन संख्या ५२ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ २० में पंक्ति २८ से ३४ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"138. (1) Where a person makes an application to the Commissioner in the prescribed form for any information relating to any assessee in respect of any assessment made either under this Act or the Indian Income tax Act, 1922, on or after the 1st day of April, 1960, the Commissioner may, if he is satisfied that it is in the public interest so to do, furnish or cause to be furnished the information asked for in respect of that assessment only and his decision in this behalf shall be final and shall not be called into question in any court of law.

(2) Notwith standing anything contained in sub-section (1) or any other law for the time being in force, the central Government may, having regard to the practices and usages customary or any other relevant factors, by order notified in the Official Gazette, direct that no information or document shall be furnished or produced by a public servant in respect of such matters relating to such class of assessees or except to such authorities as may be specified in the order."

"१३८. (१) जहां तक एक व्यक्ति, १ अप्रैल, १९६० को अथवा उस के पश्चात्, इस अधिनियम अथवा भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२ के अन्तर्गत किये गये कर निर्धारण के सिलसिले में, निश्चित फार्म द्वारा किसी कर दाता सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिये आयुक्त के पास अभ्यावेदन करता है, तो आयुक्त यदि उन्हें विश्वास हो जाय कि वैसा करना जन हित में होगा, केवल उसी निर्धारित कर के बारे में सूचना दे सकेगा अथवा सूचना देने के लिये निदेश दे सकेगा, और इस बारे में उस का निर्णय अन्तिम होगा जिसे किसी भी विधि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।

(२) उपधारा (१) में अथवा इस समय लागू किसी अन्य विधि में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, किन्हीं रूढ़िगत परम्पराओं और प्रथाओं अथवा अन्य सुसंगत तत्वों का ध्यान रखते हुए, सरकारी गज़ट में

अधिसूचना द्वारा यह निदेश कर सकेगी कि कोई सरकारी कर्मचारी अमुक करदाताओं के बारे में अमुक मामलों सम्बन्धी कोई सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा, अथवा सिवाय अमुक प्राधिकरणों के, जिन का उल्लेख निदेश में किया गया हो, और किसी को प्रस्तुत नहीं करेगा।"] (५२)

श्री काशी राम गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या १७९ प्रस्तुत करता हूं।

श्री मुरारका (झुनझुनू) : मैं अपना संशोधन संख्या १३९ प्रस्तुत करता हूं।

श्री सचीन्द्र चौधरी (फाटल) : मैं अपना संशोधन संख्या १११ प्रस्तुत करता हूं।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण) : मैं अपना संशोधन संख्या १४२ प्रस्तुत करता हूं।

श्री काशी राम गुप्त : जनहित की दृष्टि से जानकारी प्रकट करने की परिभाषा बहुत अनिश्चित है और इस से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इस बारे में आयुक्तों के लिये निश्चित निदेश होने चाहिये। सरकारी संशोधन में कहा गया है कि आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा। मैं ने अपने संशोधन द्वारा उपबन्ध रखा है कि उस का निर्णय अन्तिम नहीं होना चाहिये। यदि मेरे संशोधन को स्वीकार न किया गया तो आयुक्तों को निर्बाधशक्तियां प्राप्त होंगी जो घातक सिद्ध हो सकती हैं। सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह कार्यवाही केवल अधिक आय वाले वर्ग के लिये की जा रही है। केवल आश्वासन देने की बजाय, इस वर्ग में उपबन्ध होना चाहिये। सरकार या तो अपने संशोधन द्वारा यह बात स्पष्ट करे कि मध्यम एवं निम्न आय वर्ग को संरक्षण दिया जायगा या मेरा संशोधन स्वीकार करे जिस का प्रयोजन यही है। अन्यथा जो बेईमान आय-कर पदाधिकारी हैं वह छोटे लोगों को तंग करेंगे।

श्री सचीन्द्र चौधरी: यह ठीक है कि आयुक्त को दी गई सूचना के आधार पर कार्यवाही करनी पड़ती है परन्तु उसे निर्बाध शक्तियां दे देने से जनसाधारण को हानि हो सकती है। यदि कोई गलत सूचना देता है तो उसके लिये भी करदाता के पास कोई उपाय होना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि आयुक्त ईमादार होते हैं परन्तु उन्हें प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही कार्यवाही करनी होती है। "जनहित" शब्द की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से ही आयुक्त से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को निरुत्साहित करने के लिये मैंने अपना संशोधन रखा है। इसमें ऐसे लोगों के लिये दण्ड की व्यवस्था है। अतः उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि सूचना को गुप्त रखने के क्या कारण हैं। जो सार्थ ईमानदारी से और सच्चाई से काम करते हैं उनके कर निधारण आदि संबंधी सूचना के प्रकट हो जाने से उन्हें कोई हानि नहीं होगी। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि करदाता के बारे में जो कोई जानकारी मांगता है उसे वह जानकारी दी जानी चाहिए।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : यदि एक ईमानदार व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके व्यापार सम्बंधी भेद प्रकट किये जायें, चूंकि उससे उसके व्यापार को हानि पहुंच सकती है, तो उसको प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक करदाता को आय कर पदाधिकारी को सब प्रकार की भेद की बातें करनी पड़ती हैं तो यह आवश्यक और वांछनीय नहीं है कि वह जानकारी सभी को दे दी जाय। इसलिये "जनहित" वाला उपबंध समुचित है। परन्तु जो लोग किसी अन्य सार्थ संबंधी सूचना प्राप्त करके उसका दुरुपयोग कर सकते हैं उनको दण्ड देने के लिये भी कोई उपबंध होना चाहिए।

श्री मुरारका : मेरे संशोधन का प्रयोजन यह है कि केवल वह सूचना दी जाय जिसका उल्लेख सरकार नियमों द्वारा करे। प्रत्येक प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं की जानी चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि यह सूचना अप्रैल, १९६३ से दी जाय। तीसरे, सूचना मांगने वाले द्वारा आयुक्त को निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकनी चाहिए।

यह उपबंध सर्वथा उचित और न्यायसंगत है कि जनहित में किसी करदाता सम्बंधी जानकारी प्रकट न की जाय। यह उपबंध वास्तव में बहुत पुराना है। यदि करदाता के व्यापार सम्बंधी भेद प्रकट हो जाते हैं तो उसके व्यापार को हानि पहुंचेगी। यदि अन्य लोगों को मालूम हो जाय कि अमुक व्यक्ति की आस्तियां एवं दायित्व क्या है उसकी पूंजी कितनी है, उसका कर, दायित्व कितना है, आदि आदि. तो निश्चय ही उसे हानि पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त यदि आयुक्तों आदि के निर्णयों को चुनौती दी जा सकेगी तो वह पदाधिकारी न्यायालयों में पेश होते रहेंगे और सारा समय उनका बर्बाद हो जायगा। टोड हन्टर समिति, आय-कर जांच आयोग, १९४९, करारोपण जांच आयोग १९५३–५४ और त्यागी समिति ने भी जानकारी को गुप्त रखने के खंड का अनुमोदन किया है। इन समितियों और आयोगों का कहना है कि करदाता इस विचार से अपने सारे भेद आय-कर पदाधिकारियों को बता देता है कि वह गुप्त रखें जायेंगे। नार्वे और स्वीडन जैसे देशों में भी कुछ समिति जानकारी ही प्रकट की जाती है। यदि आप चाहते हैं कि जानकारी अवश्य उपलब्ध की जाय तो आप को बेईमान और निहित स्वार्थ रखने वालों से करदाताओं की रक्षा भी करनी होगी। मेरे संशोधन का यही उद्देश्य है।

श्री व०बा० गांधी : माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन द्वारा करदाता के लिये काफी परित्राण रखे जा रहे हैं। पहला यह है कि सूचना १ अप्रैल १९६० से दी जायगी। दूसरे आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि सूचना उपलब्ध करना जनहित में है। मैं अपने संशोधन द्वारा एक ही सुधार लाना चाहता हूं वह यह है कि आयुक्त का निर्णय अन्तिम नहीं होना चाहिए।

श्रीमती रेणुका राय : हमारे देश में अत्यधिक कर का अपवचन होता है। माननीय मंत्री ने इस बुराई को दूर करने के लिये जो उपयोगी कार्यवाही की है उस के लिये वह बधाई के पात्र हैं। जो संशोधन माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है उस से श्री मुरारका की समस्याओं का समाधान हो जाता है। आयुक्त को यह शक्ति पर्याप्त परित्राण है कि वह यदि चाहे तो जनहित में किसी सूचना को प्रकत न करे। इसलिये इस संशोधन से सभी पक्षों को सन्तुष्ट हो जाना चाहिए। इसमें अग्रेतर परिवर्तन करने की गुजाईश नहीं है।

श्री प० ना० कयाल (जयनगर) : देश में कर की जो चोरी की जाती है उसका प्रत्येक पक्ष द्वारा विरोध किया गया है और सरकार को भी दोषी ठहराया गया है चूंकि वह इसे रोकने के लिये उपयुक्त कार्यवाही नहीं करती थी। इसलिये जो उपबंध अब माननीय मंत्री ने रखा है वह समर्थनीय है।

देश के प्रत्येक व्यक्ति को किसी करदाता सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। परन्तु मैं चाहता हूं कि फार्म के लिये कोई फीस न ली जाय और कालावधि संबंधी कोई सीमा नहीं रखी जानी चाहिए ।

श्री मी० रू० मसानी : मुझ से पहले जो वक्ता बोले वह इस बात को भूल गये कि इस देश में सभी लोग कर अपवंचन नहीं करते। डाक्टर, वकील, कर्मचारी तथा अन्य प्रकार के कई लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं और कर भी देते हैं। और हर ईमानदार व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसके व्यापार या धंधे के कुछ भेद गुप्त रह सकें। परन्तु इस तथ्य की सर्वथा अवहेलना की गई है। इस प्रयोजनार्थ श्री सचीन्द्र चौधरी का संशोधन बहुत उपयुक्त है। इसे स्वीकार किया जाना चाहिये। और यह बात विचार से निकाल देनी चाहिए कि इस देश के सभी लोग बेईमान हैं।

श्री हिम्मतसिंहका (गोंडा) : मैं श्री मुरारका के संशोधन का समर्थन करता हूं। यदि किसी व्यक्ति को करदाता के बारे में, कुछ गुप्त सूचना प्रकट की जाती है तो उससे सरकार को या लोगों को क्या लाभ हो सकता है। केवल उस सूचना का दुरुपयोग ही किया जा सकता है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मूल खंड की चूंकि आलोचना की गयी थी इसलिये मैं संशोधन प्रस्तुत किया है। इस संशोधन द्वारा काफी पाबन्दियां लगाई गई हैं, फिर भी हम देखेंगे कि इसके परिणाम क्या होते हैं। यदि आवश्यक समझा गया तो फिर संशोधन लाया जायगा। आयुक्त जो सूचना उपलब्ध करेगा वह जनहित की दृष्टि से ही उपलब्ध करेगा। आयुक्त के निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती देना भी अनुचित है। इसीलिये यह संशोधन रखा गया है। श्री सचीन्द्र चौधरी के संशोधन में सूचना मागने वाले के सदभाव की बात कही गयी है परन्तु सद्भाव के बारे में निर्णय आयुक्त ही को करना होगा। यदि आयुक्त सदभाव ही समझ कर सूचना उपलब्ध कर देता है परन्तु बाद में उस सूचना का दुरुपयोग किया जाता है तो हम क्या करेंगे। इसलिये इससे काफी कटिनाईयां उत्पन्न होंगी। आयुक्त जो सूचना देगा वह इसी उद्देश्य से देगा कि सरकार को काफी राजस्व प्राप्त होने की आशा होगी। बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति सम्बंधी सूचना देने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। श्री मुरारका अपने संशोधन द्वारा यह उपबंध रखना चाहते हैं कि आयुक्त कोई विशेष प्रकार की सूचना भी उपलब्ध करें। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि केन्द्राय राजस्व बोर्ड आयुक्त को इस प्रयोजनार्थ हिदायतें अवश्य देगा एक आयक्त अपने दायित्व की उपेक्षा नहीं कर सकता। वह काफी अनुभवी पदाधिकारी होता है।

हम चाहते हैं कि करदाताओं के नाम प्रकाशित हों परन्तु १५,००० या २०,००० रुपये से कम आय वाले लोगों के नाम प्रकाशित नहीं होंगे। बिना कारण किसी के नाम प्रकाशित करने से हमें कोई लाभ नहीं हो सकेगा। हमने जब खंड १३७ को निकाला था तो करदाताओं को संरक्षण दिया था ताकि कोई सरकारी कर्मचारी उन्हें तंग न करे। इस प्रकार इस अधिकार के दुरुपयोग से बचने के लिये हमने काफी सावधानी बरती है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपने संशोधन पर आग्रह न करें ।

श्री काशीराम गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या १७९ वापस लेना चाहता हूं

संशोधन संख्या १७९ सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

Amendment No. 179 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ २० में पंक्ति २८ से ३४ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"138. (1) Where a person makes an application to the Commissioner in the prescribed form for any information relating to any assessee in respect of any assessment made either under this Act or the Indian Income-tax Act, 1922, on or after the 1st day of April, 1960, the Commissioner may, if he is satisfied that it is in the public interest so to do, furnish or cause to be furnished the information asked for in respect of that assessment only and his decision in this behalf shall be final and shall not be called into question in any court of law.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or any other law for the time being in force, the Central Government may, having regard to the practices and usages customary or any other relevant factors, by order notified in the Official Gazette, direct that no information or document shall be furnished or produced by a public servant in respect of such matters relating to such class of assessees or except to such authorities as may be specified in the order."

["१३८ (१) जहां तक एक व्यक्ति, १ अप्रैल, १९६० को अथवा उसके पश्चात्, इस अधिनियम अथवा भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२ के अन्तर्गत किये गये कर निर्धारण के सिलसिले में, निश्चित फार्म द्वारा किसी करदाता संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिये आयुक्त के पास अभ्यावेदन करता है तो आयुक्त, यदि उन्हें विश्वास हो जाय कि वैसा करना जनहित में होगा, केवल इसी निर्धारित कर के बारे में सूचना दे सकेगा अथवा सूचना देने के लिये निदेश दे सकेगा, और इस बारे में उसका निर्णय अन्तिम होगा जिसे किसी भी विधि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

(२) उप-धारा (१) में अथवा इस समय लागू किसी अन्य विधि में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी केन्द्रीय सरकार किन्हीं रुढ़िगत परम्पराओं और प्रथाओं अथवा अन्य सुसंगत तत्वों का ध्यान रखते हुए सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेश कर सकेगी कि कोई सरकारी कर्मचारी अमुक करदाताओं के बारे में अमुक मामलों संबंधी कोई सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा, अथवा सिवाय अमुक पदाधिकारियों के, जिनका उल्लेख निदेश में किया गया हो, और किसी को प्रस्तुत नहीं करेगा।"] (५२)।

संशोधन संख्या १११ सभा की अनुमति से वापस लिया गया :

The Amendment No. 111 was, by leave, withdrawn.

संशोधन संख्या १३९ सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

Amendment No. 139 was, by leave, withdrawn.

संशोधन संख्या १४२ सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

Amendment No. 142 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड ३३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 33, as amended, was added to the Bill.

श्री मी० ह० मसानी : चूंकि हमारे पास मंगलवार के दिन समय काफी होगा इसलिये मेरा सुझाव है कि अब सभा स्थगित हो ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : अब हम थक चुके हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा इससे सहमत है कि वित्त विधेयक पर चर्चा मंगलवार ५ बजे तक समाप्त हो जायेगी और अग्रेतर समय बढ़ाये जाने की मांग नहीं की जायगी ।

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो अब सभा स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २१ अप्रैल, १९६४ / वैशाख १, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, the 21st April, 1964/Vaisakha 1, 1886 (Saka).

GIPND—LSIII—629 (Hi)LSD—3-7-64—500